साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Website: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9300755803, 9425125569
Phone Fax: +91 731 2530859

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 9 अंक 6 | प्रति सोमवार इंदौर, 22 से 28 सितंबर 2014 | पृष्ठ 8 | मूल्य 2/- रुपए

चीन और पाकिस्तान जैसे चिर शत्रुओं को सबक सिखाने

मोदी जापान यात्रा अनेंकों मायने में रही सफल

समय माया वर्षों से लिखता रहा है, जापानी सहयोग और संबंधों को मजबूत करने के लिए

भारतीय प्रधानमंत्री नमो राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित करने और शत्रुओं को घेरने के लिए जो कार्य कर रहे हैं। निसंदेह वो सराहनीय कहा जा सकता है। इस शृंखला में जैसी की प्राकृतिक कहावत है शत्रु का शत्रु अपना मित्र, चीन जो हमारा पड़ोसी हैं और आजादी के बाद से ही सदा भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण करता रहा है अभी भी कर ही रहा है, इसके संदर्भ में समय माया प्रारंभ से ही लिखता रहा है और सरकारों को चेताता रहा है कि चीन को घेरने और उसकी भाषा में उसे उचित जवाब देने के लिए जापान जिसका झुकाव सदा ही हर क्षेत्र में स्नेहिल मित्र की रहा है उससे हर क्षेत्र में न केवल सहयोग लिया जाए वरन् उससे मजबूत संबंध स्थापित किए जाए जो कि चीन की हर बत्तमीजी का संपूर्ण जवाब हर क्षेत्र में होगा, चाहे वह सामरिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक हो क्योंकि चीन, जापान का चिर शत्रु रहा है और जापान का नाम सुनकर चीन कांप उठता है फिर जापानी कं. ने ही चीनी अर्थव्यवस्था का जिसमें ऑटो मोबाइल, इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रानिक्स जिसमें सेमसंग, होंडा, सुजुकी, पेनासोनिक, सोनी आदि है। उठाने में भारी योगदान दिया है, आसानी से भारत में उत्पादन और व्यवस्था के लिए, वैसे अभी

भी भारत में वे अपना योगदान दे ही रही है। विनिवेश, उत्पादन और व्यवसाय बढ़ाने के लिए कहा जा सकता है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जापानी सेना के राष्ट्रभक्त,कर्मठा, जांबाज सैनिकों से भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षण दिलवाया जाए, ताकि वो अपने पड़ोसी चीन, पाक, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, सैन्य, असैन्य आतंकवादी व अन्य उत्पातों का जवाब ईंट का जवाब हर कदम पत्थर से दे सकें।

जापानी प्रधानमंत्री शिंजोअवे की इच्छानुकूल उसे सैन्य शक्ति बढ़ाने, रखने और चीन से भविष्य में युद्ध की स्थिति से स्वतंत्र रणनीति तैयार करने में, अमेरिकी पकड़ कमजोर होने के कारण स्वतंत्रता मिले उसे इसमें भारत का साथ चाहिए जिसका भारतीय प्रधानमंत्री को न केवल सहयोग वरन् हथियारों यथा जल थल, वायुसेना के विस्तार में आपसी समझोते भी करना चाहिए, बल्कि इसके आगे बढ़कर जापानी मदद से हथियारों में सूक्ष्म तकनीकी का विकसित कर चौथी और पांचवी पीढ़ी के हथियारों के उत्पादन में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। प्र.मं. मोदी को शत्रु का शत्रु अपना मित्र की तर्ज पर उसके शत्रुओं में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों में वियतनाम, मलेशिया, पूर्वी एशिया में चीनी शत्रुओं जो चीनी सीमाओं से लगे और चीन की हड़प नीति का शिकार है। जिसमें उत्तरी दक्षिणी कोरिया से संबंध विस्तार करना चाहिए ताकि चीनी रणनीति के विरूद्ध उसे भी चारों ओर से भारत घेरने में न केवल सक्षम हो वरन् आवश्यकता पड़ने पर, चीन को वहां पर भी तैनात कर दी जानी चाहिए ताकि उन देशों के सहयोग और सुरक्षा प्रदान की जा सके और इस कदम से वहां की जनता में सुरक्षा की भावना और भारत के प्रति प्रेम बने। **(शेष 5 पेज पर)**

आईएएस की लूट, जालसाजियों औरबत्तमीज्यिों के परिणाम भुगतेगी जनता

4-5 वर्ष के बाद में पूरा शासन तंत्र हो जाएगा ध्वस्त

न नई भर्तिया, न पदोन्नतियां, 90 की अपेक्ष कार्य 5 गुना, पर्याप्त स्टॉफ का अभाव

भारत में भ्रष्ट, लालची नेताओं और नौकरशाहों ने अपने मोटे कमीशन के लालच में 1981 से विश्व व्यापार संगठन के दिवा स्वपनों को देखकर उसकी शर्तों को मानने के चक्कर में शासन के सभी केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभागों में भर्तियां ही बंद कर दी। स्टॉफ कम करने, शास. खर्चों को घटाने की आड़ में केन्द्र व राज्यों ने अधिकारियों, डॉक्टरों, इंजिनियरों से लेकर लिपिक वर्ग, चपरासियों के साथ ही अन्य कार्य विशेषज्ञों जिसमें अनुलेखकों, टंककों, शीघ्र लेखकों तक हर विभाग में न केवल भर्तियां बंद कर दी थी वरन् पदोन्नतियों को भी रोक दिया गया था। वर्तमान में हालात ये है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ ही नए कानूनों के लागू होने और उनके अनुपालन में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दबावों में, समय की मांग की आवश्यकताओं के अनुसार राज्य सरकारों के 125 से ज्यादा विभागों, कंपनियों, संगठनों में कार्य तो 1990 की अपेक्षा 4 से 5 गुना तक बढ़ गया परंतु न तो कर्मियों की भर्ती की गई, दूसरी तरफ जो अधिकारी कर्मचारी कार्यरत थे, सेवानिवृत्ति, बीमारी, मृत्यु, भ्रष्टाचार व अन्य आरोपों में निलंबन, कार्यमुक्ति, सजा के चलते हर वर्ष कम होते चले गए, इसके विपरीत उच्च स्तर पर संघ लोकसेवा आयोग ने हर वर्ष चयन करके राष्ट्रीय स्तर की सेवाओं में चयन करना, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, हर वर्ष राज्यों पर चुने गए अधिकारियों को भेजना और थोपना जारी रखा। जिससे न केवल राज्यों में इन अधिकारियों की भरमार हो गई वरन् जहां राज्य सेवा के अधिकारियों को बैठाया जाना चाहिए था वहां भी इन उच्चाधिकारियों को उनके अनुकूल पद देने के के लिए सैकड़ों नए पदों का राज्य सरकारों का सृजन करना पड़ा।

जिसस न केवल राज्य सरकारों पर वेतन भत्तों, निवास का खर्च बढ़ा वहीं इन जालसाजों ने अपनी मोटी कमाई के चलते न केवल राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती नहीं होने दी वहीं दूसरी तरफ उनकी पदोन्नतियां रोक दी और जब इन राज्यों के प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नतियां भी रोक दी

(शेष पेज 3 पर)

भाजपा पर एक तरफ कब्जा- वरिष्ठ अनुभवियों को भेजा नेपथ्य में

मोदी-शाह होंगे भारत के तानाशाह

प्रेस का उपयोग कर लहर बनाई व जीता और अब परहेज, बड़े पूंजीपतियों को सौंप देंगे... सवि. रेलवे, विद्युत, सड़कें, पानी, ईंधन, बैंकस, संचार, भारी उद्योग व उपक्रम

भारत की केन्द्रीय सत्ता में जालसाजी पूर्ण तरीके से भा.प्र.से. के अधिकारियों के पूर्व की कांग्रेस की तरह मोदी ने सत्ता हथियाइ और जिन वरिष्ठों लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी आदि सैकड़ों नेताओं ने जिस खून पसीने से सींचकर भाजपा का जनाधार खड़ा किया उनके कंधों पर पैर रखकर मोदी सत्ता में पहुंचा, सत्ता हाथ में आते ही एक-एक कर सबको किनारे कर सदा के लिए नेपथ्य में पहुंचा दिया, जो कि तानाशाही और एकाधिकार का पहला चरण था। इससे भविष्य स्पष्ट हो गया कि आने वाले समय में मोदी और शाह जिसे भाजपा का अध्यक्ष बनाकर पूरी पार्टी पर एकतरफा कब्जा कर जमा लिया। जहां तक आरएसएस का सवाल हैं वह भी पूर्णतः सत्ता प्रेमी हो चुकी है, उसके मूल सिद्धांतों को वर्तमान पीढ़ी ने ताक पर रखकर सत्ता भक्ति में समर्पित हो चुकी है।

हमारा राष्ट्र भी पूंजीवाद की अंधी दौड़ में शामिल होने तैयार खड़ा है, जहां केवल शोषण होगा गरीबों का और बड़े पूंजीपति उसका न घोर शोषण कर ही रहे थे और अपनी सल्तनत को विशालकाय बनाने पर तुले है। जिसमें हमारे राष्ट्रभक्त होने का दावा करने वाले प्र.मं. मोदी जी जान से उनके साम्राज्य विस्तार के दिवास्वप्न को पूरा करने के लिए कृत संक्रमित है। इसलिए विनिवेश के बहाने खरबों रु. की सार्वजनिक संपत्तियों जो शासकीय उपक्रमों यथा रेलवे, तेल कं., दूरसंचार, सार्वजनिक सड़कें, विद्युत मंडल, एचएमटी, रक्षा आदि के साथ प्राकृतिक खनिज आदि देशी-विदेशी जालसाज पूंजिपतियों के हवाले किए जा रहे हैं। जबकि इसी पूंजीवाद ने अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे राष्ट्रों को कई बार दिवालियेपन की कगार पर ला खड़ा किया, यही कारण है कि अपने आपको अत्याधिक महान और आधुनिक कहलाने वाले अमेरिका और इंग्लैंड की 20 प्रश से ज्यादा आबादी गरीबी में जीवन यापन करती है।

(शेष 3 पेज पर)

संविधान के समानता के अधिकार की धज्जियां उड़ाते कानून

समाप्त करों सामान्य को आतंकित कर लूटने वाला कानून

ब्लेकमेलिंग, प्रताड़ना, वसूली करने का हथियार, करोड़ों रु. की लूट रोकने कुछ नहीं

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत धर्म, जाति और लिंग के आधार पर सभी को समान अधिकार, जीवन यापन के अवसर, जीने का अधिकार दिया गया था, पर हमारे धूर्त जालसाज नेताओं ने अपने वोटों की राजनीति करने और अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए ऐसे अनेकों कानून बना दिए जो आम सामान्य वर्ग की जनता, नियोक्ता वरिष्ठ अधिकारियों को, अपनी धूर्तता, कामचोरी व अन्य तरह के कूकृत्यों को न केवल छिपाने, दबाने के साथ दबाव बनाकर ब्लेकमेल कर, प्रताड़ना देकर वसूली करने का हथियार बन चुके हैं। हर नगर, शहरीय आबादी, महानगरों के हर मोहल्ले में 90 प्रश सफाई व्यवस्था से जुड़े अधिकांश अनुसूचित जाति के महिला-पुरूष सफाईकर्मी पिछले कई वर्षों से जानबूझकर स्नानागर, शौचालयों की पाइप लाइनों को जानबूझकर तोड़ने फिर उसमें पत्थर, ईंट, कपड़े आदि सामग्री ठूंसकर बंद कर देते हैं। फिर जब ज्यादा पानी, गंदगी, स्नानागरों, शौचालयों में भरकर इकट्ठी होने लगती है तो वह नगर पालिकाओं, निगम कर्मचारियों से सफाई की गुहार लगाता है तो यह गली-मोहल्ले के सफाईकर्मी न केवल बत्तमीजों से पेश आते हैं, वरन् इकट्ठे होकर रु. 1000-2000 से लेकर रु. 5 से 10 हजार तक मांग करते हैं न देने पर धमकी देना, गालीयां बकना, अपमान करने से लड़ाई-झगड़े और मारपीट पर उतारू होने तक का कार्य करते हैं। यदि प्रति उत्तर में समान्य वर्ग के लोगों या महिलाओं ने कुछ भी बोला तो उन्हें अनु. जाति जनजाति अधि. में फंसा दिया जाता है, जहां पुलिस थाना आम, सामान्य की एक नहीं सुनता और सीधा गिरफ्तार कर अंदर कर देता है। आम सामान्य वर्ग का अड़ोसी-पड़ोसियों तक का सहयोग सच को सच कहने के लिए भी नहीं मिलता वहीं दूसरी और सफाईकर्मियों की तरफ से नगर पालिकाओं, निगमों के वरिष्ठ कर्मचारी, अधिकारियों से लेकर सफाईकर्मी का संघ भी मैदान में कूदकर आंदोलन करने वूसली करने में आगे रहता है। चाहे फिर उस चक्कर में वह आम सामान्य वर्ग का व्यक्ति अपने और अपने परिवार को बचाने में बर्बाद हो जाता है। ये सच्चाई हर शहर, नगर, महानगर के गली-मोहल्ले की है चाहे व भागीरथपुरा हो, साकेत, पलासिया, कंचनबाग जैसी...

(शेष 2 पेज पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

राजभाषा हिन्दी कब और कैसे होगी राष्ट्रभाषा?

वर्तमान विश्व में बदलते परिवेश में पूरे विश्व में हिन्दी बोलने, जानने, समझने वालों के साथ ही सिखने और सीखाने की ललक रखने वालों की संख्या बढ़ रही है। यह सत्य विश्वर स्तर पर अमेरिका जैसे राष्ट्र और युरोपियन समुदाय की घरेलु संस्था संयुक्त राष्ट्र बनाम संयुक्त शैतान संघ भी स्वीकार करता है। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण भारत में केवल व्यावसायिकरण दृष्टिकोण और भारत का सदाबहार बारहमासी बाजार ही नहीं है, इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण है, पौराणिक धर्म, विज्ञान,योग, चिकित्सा, रसायन,कीर्ति शास्त्र, प्राकृतिक प्रकृति का विश्लेषण, आयुर्वेद, ज्योतिष, शास्त्र, गणित, वास्तु आदि अनेकों विषयों की जानकारी संस्कृत और हिन्दी में ही है, जिसे पाकर शताब्दियों से केवल यह राष्ट्र ही नहीं वरन् विश्व धन्य होता रहा है और वर्तमान वैज्ञानिक भौतिक उन्नति का आधार है, उस महान प्राचीन भाषा का उसके ही राष्ट्र में उसके ही लोग घोर अपमान कर रहे हैं। निःसंदेह स्वंतत्रता के बाद कम सेकम विदेश में शिक्षा प्राप्त गांधी और नेहरू ने संविधान निर्माण के समय इसे राजभाषा का सम्मान अवश्य दे दिया अन्यथा 66 वर्षों में हिन्दी कम से कम हमारे राष्ट्र से लुप्त होने से बची रही, क्योंकि 1832 की लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य ही था। इस राष्ट्र की जनता को भाषाई गुलाम बनाकर सदियों तक आर्थिक सामाजिक और मानसिक रूप से भी गुलाम बनाकर रखा जाए। उसमें वह 180 वर्ष बाद भी सफल रहा। भले ही हमारी आजादी को 66 वर्ष गुजर गए हो परंतु यह हमारी महान राजभाषा हिन्दी राष्ट्रभाषा का दर्जा दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी राष्ट्र में प्राप्त नहीं कर सकी हैं। साथ ही राजभाषा होने के उपरांत राज कार्यों, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयों में भी संवाद, संचार, आचार-विचार का माध्यम नहीं बन सकी, दूसरी ओर पूरे मध्य व उत्तरी भारत में शिक्षा का माध्यम प्राथमिकी से लेकर उच्च व तकनीकि शिक्षा में भी इसे सौतेले व दोयम दर्जा प्राप्त हुआ है। यहां तक कि महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, केरल, तेलांगाना, कर्नाटक आदि में तो तीसरे स्थान पर है। यह हिन्दी का अपने ही राष्ट्र में 66 वर्षों की आजादी के बाद का हाल है, यहां तक कि उत्तरी व मध्य भारत के राज्यों यथा मप्र, राजस्थान, बिहार, उप्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर आदि राज्यों में हिन्दी सरल, सुलभ, संवाद, संचार का माध्यम केवल मध्यम और निम्न दर्जें के लोगों के लिए हैं, जबकि अभिजात्य होने का दंभ भरने वाले, उच्च मध्यम वर्गीय के लिए शिक्षा से लेकर सामाजिक, पारिवारिक संवाद में भी वे आंग्ल भाषा का प्रयोग करना अपनी श्रेष्ठता का स्तर प्रदर्शन का कारण हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी के 3 माह से ज्यादा के शासनकाल में उन्होंने राज्यों के राजकार्यों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भी सारे कार्यों को हिन्दी में करने के आदेश देकर तो सिद्ध कर दिया कि वे हिन्दी को राजकार्यों में राष्ट्रभाषा बनाने के लिए दृढ संकल्पित है। प्रमं. ने आते ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, में फैसले की प्रति हिन्दी में उपलब्ध करवाने की अच्छी पहल की। राजभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए आवश्यक है, प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा एक जैसी, एक भाषा में जाति पांति गरीब-अमीरी छोड़कर शासकीय और निजी शिक्षण संस्थानों में दी जानी चाहिए। तत्काल प्रभात से शिक्षा का व्यवसायीकरण समाप्त होना ही चाहिए। निजी शिक्षण संस्थाएं अपनी कमाई के लिए आंग्ल माध्यम बनाए रखकर अपनी लूट के लिए हिन्दी को राष्ट्रभाषा नहीं बनने देंगे।

मप्र.ज.स.वि. का इंदौरसंभाग-जमीनों की कीमतें ज्यादा होने से बंद होने की कगार पर

भ्रष्ट इ.न.नि. व लो.स्वा.यां. क्यों बनाएंगे रु. 280 करोड़ का बांध चोरल पर

मप्र लो.स्वा.यां.व नगर निगमों में कदम-कदम पर भ्रष्टाचार, चारों तरफ सफेदपोश गिद्धों की भरमार

इंदौर मालवा की राजधानी में प्रशासन से लेकर नगर निगम विकास प्राधिकरण जैसे स्वायत्तशासी संस्थानों व निजी क्षेत्र की व्यावसायिक कंपनियां व्यवसायी व जनता तक सभी वास्तविक से ज्यादा आभासी कल्पना लोक में विचरण करने के ज्यादा शौकिन है। उसी आधार पर प्रदेश का मुख्यमंत्री चौहान और देश का प्रधानमंत्री तक इसे मेट्रो सिटी, स्मार्ट सिटी बनाने के दिवास्वप्न देखते और दिखाया करते है। जबकि जिसे महानगर कहा जाता है। उसमें 21 वीं शताब्दी तक के प्रारंभ में जल विस्तारण की उचित सुविधाएं नहीं जहां अगर 1 घंटे में 2 इंच वर्षा हो जाए तो आधे से ज्यादा शहर में चारों तरफ पानी भर जाता है। चारो तरफ यातायात चौराहो पर वाहन जाम की स्थिति बन जाती है। आखिर क्यों? जबकि अनेकों योजनाओं में नालीयों के लिए अरबों रु. स्वीकृत हुआ और हजम भी हो गया। यहां तक कि जिस बीआरटीएस पर जो कि मात्र 11 किमी था रु. 1000 करोड़ से ज्यादा खर्चने के बाद भी न तो वाहन चालकों को सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने की ढंग की सुविधाएं मिली वरन् न ही गति, वरन् उल्टे ही इसे घोर असुरक्षित और पुलिस को शिकार विशेषज्ञ की तरह लुटवाने का साधन भी देने के साथ ही हर तिराहे, चौराहे पर वाहनों की जाम की स्थितियां और दूर्घटना जनक बना दिया। अब वही नगर निगम कह रहा है कि वह रु. 280 करोड़ से चोरल पर बांध बनाकर जल आपूर्ति करेगा शहर को, यही दिवास्वप्न उसने तृतीय चरण की नर्मदा जल आपूर्ति में दिखाया था कि 24 घंटे पानी मिलेगा, जबकि वर्तमान में भी वहीं दो दिन में एक बार आधा घंटे जलापूर्ति की जा रही है। शहर की 70 प्रश आबादी को कहा गया 360 एनएलडी पानी, सब अवैध 400 से ज्यादा कालोनियां को अरबों रुपए डकार कर जिलाधीश, नगर निगमायुक्त, पार्षदों, नेताओं, लो. स्वा. विभाग के इंजिनियरों ने उन्हें निर्वाध आपूर्ति दे रहे हैं। पुराने शहर की आबादी जो सन् 2000 तक 80 रु. प्रतिमाह जलकर का प्रतिमाह दे रही थी उसका शुल्क दोगुना कर 60 प्रतिमाह वसूली देने के बाद भी वहीं जल संकट से जूझ रही है अर्थात यहां के भ्रष्ट इंजिनियर्स केवल भ्रष्टाचार इंजिनियरिंग में मास्टर है किसी भी तरह की जल आपूर्ति, सिविल इंजिनियरिंग यथा सड़के, भवन आदि के कार्यों में नहीं। लोक स्वा.या. विभाग और नगर निगम ने देवास की लोदी नदी पर भी बांध बनाने की योजना में रु. 400 करोड़ से ज्यादा डूबा दिया, तो इस मालवाह की राजधानी इंदौर नगर निगम और भ्रष्टों से उम्मीद करना कि वो चोरल नदी के निचले स्तर पर जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 360 फुट है वहां बांध बनाकर इंदौर जो 460 से 480 फुट समुद्र तल से ऊंचाई पर है, के लिए 200 फुट पानी की मोटरों से खींचकर पहले ऊपर के बांध में संग्रहित करेंगे फिर त्वरण वेग से नगर की आपूर्ति करेंगे वह पानी भी बड़े उद्योगपतियों, बड़े कालोनी, भूमाफियाओं को समर्पित करेंगे और मोटी कमाई करेंगे। दूसरी तरफ मप्र जल संसाधन का इंदौर संभाग के पास इंदौर जिले की नगरीय आबादी छोड़ आसपास के वन क्षेत्रों और कृषि क्षेत्रों में इंदौर, देपालपुर, महू, सांवेर, तहसीलों में जल संग्रहण के लिए तालाब बनाने के लिए 40 से ज्यादा साइट्स है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण या तो वन विभाग से या कृषकों से करन है जिसकी लागत अधिक होने के कारण शासन के निर्धारित मापदंडों से ज्यादा कीमत होने के कारण कार्य की स्वीकृति ही नहीं दी जा रही है। हाल ये हैं कि कार्य के अभाव में सन् 2006 से बंद होने की कगार पर खड़ा है। अब जबकि लो. स्वा.यां. और नगर निगम रु. 280 करोड़ का जो बांध बनाने की योजना का खाका खींच रहे हैं। उसके सर्वेक्षण से लेकर बांध बनाने, पानी को खींचकर 200 फुट ऊपर चढ़ा कर संचय करने और वहां से नगर निगम के क्षेत्र तक पानी पहुंचाने का कार्य उसको सौंपा जाना चाहिए जिसका यह विभाग विशेषज्ञ है, उसके बाद उस पानी की आपूर्ति लो.स्वा. यां. व नगर निगम कहां करता है, वो करेंगे।

साइट निरीक्षण के लिए निगमायुक्त, महापौर व अन्य मंत्री भी साथ में मुख्य जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता डामोर, अ.य. गांधी और इंदौर सं. के कार्य.यं. राठौर को भी साथ लेकर हरी गए थे और उनकी भी सलाह मशविरा किया गया, वैसे भी जलसंसाधन विभाग के पास ही मूल नक्शे है। उनकी सलाह, दिशा निर्देश के बिना लो.स्वा. यां. और नगर निगम के इंजिनियर न तो सर्वे न डीपीआर या निर्माण कार्य कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो बेहतर यही होगा कि शासन स्तर पर भी यह कार्य जल संसाधन इंदौर संभाग को ही सौंप दिया जावे ताकि न केवल इंदौर संभाग को कार्य मिल सके और वह टूटने और समाप्त होने से बच सके। साथ ही वो अपनी विशेषज्ञता से इस कार्य को बेहतर संपन्न कर सकें। इसके साथ ही 590 समुद्र तल से ऊंचाई पर बने वर्तमान चोरल बांध जिसकी नहरें 45 किमी तक बनाई गई थी अधिकांश नहरे मिट्टी भर जाने और साफ-सफाई के अभाव में केवल 15-20 किमी तक भी मुश्किल से पहुंचती है। त्वरण वेग से जल को पाइपों के माध्यम से सीधे ही इंदौर को मिलना चाहिए, जहां पर अभी जल क्रीड़ा आदि कार्य संपन्न होते हैं। साहसिक खेलों यथा ग्लाइडिंग आदि किया जाता है।

इंदौरी नेताओं, निगम के इंजिनियरों, पार्षदों ने भूमाफियाओं, कालोनी माफियाओं के साथ मिलकर जो पूर्व से बाते तालाबों, उनके जल संग्रहण क्षेत्रों पर कब्जे कर कालोनियां काट कर कब्जे कर बर्बाद कर दिया है, क्यों नहीं वो कब्जे हटा और कालोनियों को ध्वस्त कर पुर्न जीवित किया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी को पर्याप्त जलापूर्ति की जा सके। साथ ही नगर निगम इंदौर महापौर, निगमायुक्त इस तथ्य पर भी गौर करें कि जल संसाधन के पास जो महू तहसील के आसपास के क्षेत्रों में 500 फुट से ज्यादा ऊंचाई की साइटें जहां पर 10-20 है. के तालाब बनाए जा सकते हों और भूमि अधिग्रहण में स्वयं व शासन से वित्तीय व्यवस्था करवा कर वो जल संग्रहण क्षेत्र विकसित करें ताकि भविष्य में तरण वैग से जलापूर्ति इंदोर नगर निगम को मिल सके, अन्यथा भविष्य में व क्षेत्र भी अन्य उपयोग आ जाने पर कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। पूर्व में भी नगर निगम के इंजिनियर्स, पार्षद यशवंत सागर और बिलावली के जलसंग्रहण और जल ग्रहण क्षेत्र की सफाई के नाम पर 2006 में भी रु. 6 करोड़ से ज्यादा डकार चुके हैं। जबकि रु. 10 प्रतिघन फुट मिट्टी भी निकाली जाती तो 60 लाख धन फुट मिट्टी निकाली जाती जिससे अतिरिक्त 60 लाख धन फुट पानी अतिरिक्त एकत्रित किया जा सकता था, परंतु लूटमार भ्रष्टाचार की ताक में बैठे गिद्धों से कुछ बचें।

समाप्त करों सामान्य वर्ग को आतंकित कर लूटने वाला कानून

पेज 1 का शेष

इंदौर की पॉश कालोनियों हो या दिल्ली का कनाट पैलेस की कालोनियां ये हर दिन रहवासी घरों की लाइनों में तोड़फोड़ कर वसूली करने में ही अकेले इंदौर जैसे शहरों में लाखों की लूट कर लेते हैं। यदि किसी रहवासी ने इनकी सफाइकर्मी या किसी अन्य से करवाने की कोशिश करता है तो मारपीट कर उस मोहल्ले का सफाईकर्मिंयो का मुखिया भगा देता है, जब इनसे चर्चा की गई तो माालूम पड़ा कि इस मिलने वाले धन में हर गली मोहल्ले के पार्षद से लकर पालिकाओं और निगम के कर्मचारियों तक धन पहुंचता है और देश के 5-6 महानगरों से लेकर देश की 3000 तहसीलों स्तर तक यह वसूली चल रही है, इसके लिए गली मोहल्ले की सफाई व्यवस्था और तोड़फोड़ से वसूली की नीलामी होती है, जो न्यूनतम रु. 10-20 हजार से लेकर लाखों तक में जाती है। आम सामान्य नागरिक रहवासी क्षेत्रों में इस प्रकार वर्ष भर में रु. 1000-2000 से लेकर पॉश कालोनियों में 10 से 20 हजार तक लूटा जाता है, जिसकी शिकायत न तो क्षेत्रीय निगम पालिकाएं सुनती है न ही थानों में इस कृत्य के विरूद्ध रिपोर्ट लिखी जाती है, जबकि यही कार्य सामान्य वर्ग के फैक्ट्री, दुकान, व्यवसायिक संस्थानों, उद्योगों के मालिकों को इस मामलें में और भी बुरी दशा है। वहां ऐसे महिला-पुरूष कर्मचारी द्वारा मालिकों को प्रताड़ना, जाति सूचक शब्दों का झूठे ही आरोप लगाकर उनके व्यवसाय फैक्ट्री, उद्योगों को चौपट करने की धमकी देकर ब्लेकमेल कर वसूली की जाती है, वरन् उनसे बिना काम के वेतन भी वसूला जाता है।

सरकारी नौकरियों में भी हर विभाग ऐसे शातिर कर्मचारी, अधिकारी अपने वरिष्ठ सामान्य वर्ग को गाहे-बगाहे चमकाते धमकाते और वसूली करते हैं। जिसके बारे में पिछले 20-25 वर्षों से सभी नेता राजनीतिज्ञ भली भांति परिचित है कि किस प्रकार सामान्य वर्ग के लोगों के लिए यह कानून प्रताड़ना और वसूली और ब्लैकमेलिंग का कानूनी हथियार बन मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण कर रहा है, जिसके लपेटे में आईएएस अधिकारियों से लेकर न्यायाधीश और सरकार में बैठे मंत्री तक आ चुके है, आ सकते हैं।

क्या यही है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का मौलिक अधिकार, जिसमें जाति विशेष में जन्म लेने पर ही सामान्य वर्ग के लोगों को गालियां बकने, सार्वजनिक रूप से बात बेबात पर अपमान करने, सामाजिक प्रतिष्ठा बर्बाद करने, षड़यंत्रपूर्वक फंसाने, उत्पीड़न देकर वसूली करने का अधिकार दे देता है कानून, आम नागरिकों से विशेष बना देता है जिसका उपयोग एक आईएएस स्तर की अधिकारी शशि कर्णावत ने अपने ही वरिष्ठ आईएएस प्रधान सचिव आर.एस. जुलानिया के विरूद्ध इसलिएए किया क्योंकि उसने मात्र उसकी इच्छा के अनुकूल 32-35 वर्षों से एक ही पद पर पर बैठे सामान्य वर्ग के सहा. यंत्री की पदोन्नतियों देने का कार्य नहीं रोका, जबकि उनके साथ के कनिष्ठों यंत्री आरक्षित वर्ग के न केवल 2-3 पदोन्नतियों ले चुके थे और एक तो प्रमुख अभियंता तक बन चुका था, उसके ऊपर प्रताड़ना और जाति सूचक शब्दों को आधार बनाकर एफआईआर की गई, केन्द्रीय अनु. जाति, जनजाति आयोग में शिकायत की गई, वहां जुलानिया ने पेशी में उपस्थिति दर्ज करवाई, जब एक प्रधान सचिव को सर्वोच्च न्यायालयों के आदेशों पर उसने मुश्किल से सामान्य वर्ग के अधिकारियों को 32-35 वर्ष पहली पदोन्नति देने पर यह प्रताड़ना मिली तो आम सामान्य नागरिक के साथ क्या गुजरती होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

इन सत्ता में राज्य से लेकर केन्द्र तक बैठे सत्ता और देश के कर्णधार मंत्रियों को इन सबसे कोई मतलब नहीं। उन हरामखोर जालसाजों को तो धन बटोरने से मतलब नहीं। वे तो ये चाहते है कि उनकी वोटों की राजनीति चलती रहे, आम सामान्य बुद्धिजीवी वर्ग को किसी भी बहाने लूटता पिटता रहे, इस बहाने का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सामाजिक शोषण होता रहे और वो नगरीय आबादी के गली-मोहल्ले के आवारा श्वानों की भांति इन धूर्तो के सामने सदा अपने जीवन यापन के लिए इनसे दया की भीख मांगता रहे, आखिर कैसा है ये देश का संविधान, कैसे समानता के अधिकार, क्यों समाप्त नहीं किए जाते ये कानून जो मात्र 10 वर्ष के लिए बनाए गए थे।

भारतीय जालसाज डकैत बैंकरों का सरगना रिजर्व बैंक

बैंकों की सफेदपोश डकैती, जालसाजी का संरक्षण दाता रिजर्व बैंक

ग्राहकों के साथ लूट, डकैती रोकने की अपेक्षा उल्टे ही रु. 1 लाख तक का दंड

मोदी की जनता के करोड़ों खाते जो कि योजना से बैंकर्स कब किस की मुंह की रोटी और तन की लंगोटी छीनकर कर्जदार बनाकर जेल पहुंचा देंगे,कोई भरोसा नहीं किया जा सकता

भारत में 99 प्रश स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक भारत सरकार के उपक्रमों में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, विदेशी बैंकों की शाखाएं, सहकारी बैंकों में ग्रामीण बैंकों आदि सभी में वहां पर बैठे अधिकारियों से लेकर नीचे के कर्मचारियों तक अधिकांश ग्राहकों के साथ किसी न किसी तरह की जालसाजियों में लिप्त रहते हैं। दूसरी और अधिकांश स्टाफ घोर मक्कार होने के साथ ही ग्राहकों को जानवरों की तरह समझता है। खातों से पैसे गायब होना, खातों में जमा किए गए चैक गायब होना, पूछताछ करने पर उल्टे ही जालसाज मक्कार स्टाफ द्वारा ग्राहकों के साथ मारपीट करना, जिसकी शिकायत न थाने में सुनते हैं, न ही रिजर्व बैंक के लोकपाल में स्वीकार की जाती है। बैंक खातों में मनमर्जी की अंटशंट कटौतियां करना, ऋण खातों में अंटशंट अनेको प्रकार के शुल्क चिपका कर वसूली करना, कृषि ऋणों में निक्षेप बीमा व साख गारंटी निगम या डी.आई.सी.जी.सी. का शुल्क, फसल ऋणों के लिए फसल बीमा पिछले 35 से ज्यादा वर्षों से वसूला जा रहा है। परंतु देश के 20 करोड़ से ज्यादा किसानों को फसल खराब होने, सूखा, ओले पड़ने से ऋण भुगतान की विपरीत परिस्थितियों में कभी बीमे का लाभ नहीं मिल सका, जबकि बैंक अरबों रु. प्रतिवर्ष की कटौतियों में हजम कर जाती है। दूसरी और बड़े उद्योगपति, कार्पोरेट सेक्टर,संयुक्त कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कं. बड़े नेताओं की फर्मों को 2 प्रश से 5 प्रश धन डकार कर जो भी बैंक कनिष्ठ से लेकर वरिष्ठ प्रबंधन के अधिकारी ऋण स्वीकृत करते हैं और अंत में हजारों करोड़ रुपए हर साल बैंकों का डूबत खातों में डालकर हजम कर लिया जाता है, जिसमें प्रतिभूतियों के रूप में जो संपत्तियां दृष्टि बंधक व गिरवी किया जाता है, जो अधिकांश का अधिक मूल्यांकन चार्टर्ड बनाम करप्ट एकाउंटेटों से करवाकर जो दस्तावेज बैंको को सौंपे जाते हैं। अधिकांश फर्जी होते हैं। अर्थात दाल चावल या अन्य उद्योगों के स्टाक में 1000 हजार डिब्बे तेल के दिखाए उसमें अधिकांश में पानी भरकर, बोरों में उत्पादन के स्थान पर रेत भूसा भरकर दिखाकर, बैंक अधिकारी ऋण के रूप में करोड़ों रुपए स्वीकृत कर देते हैं, स्वाभाविक है बाद में डूबना ही है, क्योंकि स्वीकृति के समय 2 से 5 प्रश छोटे स्वरोजगार,प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रोजगार आदि के ऋणों में यह बढ़कर 10 से 20 प्रश तक हो जाता है, जब डूबत होता है तो स्वीकृत करने वाले स्थल निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को क्यों नहीं पकड़ा जाता और उनकी जांच क्यों नहीं की जाती। इस प्रकार बैंकों में कनिष्ठ अधिकारियों से लेकर संचालक और प्रबंध संचालक तक हजारों करोड़ रु. की रिश्वत डकारकर लाखों करोड़ रुपए बैंकों के हर वर्ष डुबो देते हैं। जबकि ऐसे 99 प्रश अधिकारी अपने कुकृत्यों और भ्रष्टाचार करने के बाद भी बचे रहते हैं। और धन बल इन हरामखोंरों भ्रष्टों के ग्राहकों से बत्तमीजी दिखाने का मूल कारण होती है, जबकि इन घाटों को पूरा करने के लिए बैंकों में छोटे-छोटे ऐसे कामों की लूट, जिसमें खातों में न्यूनतम शेष से कम होने पर रु. 500 खातों में अब जबकि खाताबहीयों का चलन समाप्त होकर सारा कारोबार कम्प्यूटराइजड हो जाने के बाद भी, पन्नों का शुल्क भी रु. 500 प्रति पन्नों के हिसाब से काट लिया जाता है। चेक बुक का शुल्क, एटीएम उपयोग करने का शुल्क, कार्ड जारी करने, रखने का तरह-तरह का शुल्क अलग से लगाया जाता है। इसके साथ ही एचडीएफसी, आईसीआईआई जैसी सरकारी बैंकों के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के सैकड़ों सवज बाग दिखाकर उपभोक्ताओं को थमा दिए जाते हैं। इसके बाद में उन पर भारी अंटशंट शुल्क लगाकर वसूली की जाती है अन्यथा उन शुल्कों को न चुकाने पर अत्याधिक ब्याज लगाकर वसूली के न केवल नोटिस, समन्स तक भेजे जाते हैं। उपभोक्ता जब उनकी शिकायत करने पहुंचता है तो न केवल शिकायतों पर सुनवाई नहीं की जाती वरन ग्राहकों के साथ भारी बत्तमीजी के साथ उसको प्रताड़ना और अपमानित किया जाता है। तहसीलदारों थानों के माध्यम से गिरफ्तारी करवा कर उन्हें अदालती चक्करों में उलझा कर भारी मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं देने से तक बाज नहीं आते, आखिर क्या सारे कानून उपभोक्ताओं को लूटने और प्रताड़ित करने के लिए है। क्या रिजर्व बैंक ने बैंकों की इन लुटेरी ग्राहकों को परेशान करने और उनके साथ जालसाजी की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कारगार कदम उठाया, उल्टे ही बैंकरों की जालसाजियों को, और जनता से वसूली को बढ़ावा देने के लिए उल्टे ही कानून बना दिए। क्या यही है लोकतांत्रिक देश की अर्थव्यवस्थता को चलाने वित्तीय व्यवस्था और बैंकरों के बैंक होने वाले रिजर्व बैंक की लोकहितों को संरक्षण देने या लुटवाने की व्यवस्था। जब सरकारी बैंकों में इस प्रकार की जालसाजियों और लूट का बोलबाला है,तो निजी बैंकों, सहकारी बैंकों में जनता के साथ होने वाली लूट और डकैती का अंदाजा लगाया जा सकता है, जबकि न केवल निजी और सहकारी बैंको वरन् सरकारी बैंकों जिसमें स्टेट बैंक से लेकर सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में वही के अधिकारी कर्मचारी ही बाहरी लोगों के साथ मिलकर जनता की बैंकों में जमा बचत, आवर्ती, सवाधि जमाओं के उदासीन पड़े खातों, चालू, साख खातों तक में से हजारों करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक की हेराफेरी करते हैं। 90 प्रश स्टाफ न केवल घोर जालसाज व बत्तमीज व फरेबी भी हैं। कम्प्यूटराइजेशन हो जाने के बाद ये जालसाजियां और बढ़ी हैं। अब जिसके पास एटीएम, डेबिट कार्ड,क्रेडिट कार्ड है। कब उसका न केवल खाता खाली हो जाने वरन् कब बैंकों का कर्जदार हो जाए लाखों का मालूम ही नहीं पड़ता। जब ग्राहक को मालूम पड़ता है तो बैंक की तरफ दौड़ लगाता है, जिसमें 90 प्रश बैंक वाले तक चूंकि उसमें स्वयं शामिल होते हैं। इसलिए उल्टा ही ग्राहकों पर ही दोषारोपण कर दिया जाता हैं। रिजर्व बैंक आखिर बैंकों की जालसाजियों, डूबत ऋणों, जमाओं में स्टॉफ द्वारा की जा रही जालसाजियों को रोकने ग्राहकों के हितों को संरक्षित करने में न केवल नाकाम रहा वरन् उसने बैंकरों की लूट के विरूद्ध जनता का मुंह बंद करने के लिए विवादों का नाम देकर रु. 1 लाख तक के दंड की व्यवस्था कर यह अवश्य सिद्ध कर दिया कि हम सफेदपोश डकैतों के सरगना महाडकैत है। दूसरी तरफ हमारा धूर्त प्रधानमंत्री मोदी जनता के हर व्यक्ति का खाता खुलवाकर एक तरफ सारा डाटा इकट्ठा कर पूरी दुनिया को ऑनलाइन उपलब्ध करवाकर, जिसका सदुपयोग दुनिया की बड़ी बहुराष्ट्रीय कं. करेगी, तो दूसरी तरफ ये सरकारी 90 प्रश बैंक खातेदार को कब कर्जदार बनाकर उसके मुंह की रोटी, तन की लंगोटी, सिर की झोपड़ी तक छीन कर जेलों में पहुंचा देगी जनता के खातेदारों को मालूम तक नहीं पड़ेगा।

मोदी-शाह होंगे भारत के तानाशाह

पेज 1 का शेष

वह बात दूसरी है कि उसकी कठपुतली संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ बनाम संयुक्त शैतान संघ सबसे ज्यादा बाल विवाह, भूखमरी, बलात्कारों के बारे में भारत को बदनाम करता है, जबकि हमारे यहां बाल विवाह के बाद भी बच्चे स्त्रीया 18 के बाद ही पैदा करती है, और वहां बिना विवाह के बिना बाप का नाम जाने 12 से 16 की उम्र में ही मां बन जाती है। वहां घर में ही मां-बाप अपने बेटा-बेटियों के साथ यौनाचार कर डालते हैं। न वहां का धर्म रोकता है न समाज। हमारे भारत में तो ऐसा नही है,फिर हमारी उन्नति के पीछे हमारी साम्यवाद और पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था ही तो थी जब पूंजीवादी राष्ट्र मंदी में रो रहे थे, तब भी हमारे यहां शासकीय उपक्रमों बड़ी कं., रेलवे, तेल कं., विद्युत कं. आदि सैकड़ों में फिर भी छंटनी नहीं होती थी। बड़ी-बड़ी परियोजनाएं चलती रहती थी इसके विपरीत अमेरिका, इंग्लैंड व अन्य यूरोपीय देशों में मंदी की मार से लाखों बेरोजगार हो जाने पर घर की महिलाएं सड़कों पर वैश्यावृत्ति करने को मजबूर हो जाती है। हमारे भारत में विश्व में कितनी भी मंदी आई हो पर भारत में रोटी के लिए वैश्यावृत्त करने तो मजबूर नहीं होना पड़ा, पर मोदीजी अगर देश को पूर्णतः पूंजीवाद की राह पर आगे बढ़ाने और अपने पूंजीपति मित्रों यथा टाटा, अंबानी, अडानी, बिरला, आईटीसी व अन्य को प्राकृतिक सार्वजनिक उपक्रमों को विनिवेश करने का तानाशाहीपूर्ण निर्णय लिया तो हमें भी यह पूंजीपति घोर शोषण कर अमेरिका की तरह इसी राह पर चलने को मजबूर कर देंगे,मोदी को सार्वजनिक उपक्रमों को मजबूत और भ्रष्टहीन बनाकर उत्पादन बढ़ाना चाहिए, सार्वजनिक शासकीय उच्च स्तरीय उद्योगों को अपने हाथ में रखना चाहिए।

4-5 वर्ष के बाद में पूरा शासन तंत्र हो जाएगा ध्वस्त

पेज 1 का शेष

और जब इन राज्यों के प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नतियों पर कार्यवाही करने की बात उठी, तब इन जालसाज इंडियन एब्यूसिंग सर्विसेज के अधिकारियों ने किसी न किसी बहाने प्रताड़ित करने, निलंबन करने, विभागीय कार्रवाई करने, कारण बताओं स्पष्टीकरण देने में उलझा कर पदोन्नतियों से वंचित करने का षड़यंत्र रचे जाते रहे। इस श्रृंखला में मप्र वाणिज्यकर, जिला प्रशासनिक अधिकारियों, कृषि विभाग, उद्यानिकी, स्वास्थ्य लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, पुलिस, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, वन विभाग, आदिम जाति कल्याण, जनसंपर्क, ग्रामीण यांत्रीकी सेवा, कोष, लेखो एवं निवृत्ति, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खाद्य एवं औषधी प्रशासन, शिक्षा, उच्च तकनीकि, चिकित्सा, शिक्षा, नगरीय प्रशासन, महिला बाल विकास आदि सभी विभागों में इन षड़यंत्रकारियों ने ये कृत्य पिछले 25 से ज्यादा वर्षों से करते रहे। हालात ये हो गए कि अधिकांश इंजिनियर्स, डॉक्टर्स, पेशेवर, कृषि वैज्ञानिक, उद्यानिकी विशेषज्ञ, व्याख्याता, अधिकारी, कर्मचारी जिस पद पर भर्ती हुए थे, उसी पद पर सेवानिवृत्ति तक पहुंच गए। सामान्य वर्ग में सभी श्रेणियों और सभी विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति में जबकि सर्वोच्च न्यायालय तक ने अपने दसियों से ज्यादा निर्णयों में राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पदोन्नतियों में किसी प्रकार का कोई आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा के वितरीत धूर्त नेताओं जिसमें दिग्गी दानव ने अपने चुनाव जीतने के लिए सामान्य वर्ग के साथ घोर अन्याय करते हुए पदोन्नतियों में 50 से 70 प्रश आरक्षण कर दिया। परिणाम जो वो चाहता था वही हुआ उसने भ्रष्टाचार से दोनों हाथ से न केवल तांडव किया वरन् घोर भ्रष्टाचारी सिद्ध होने के बाद भी इसी फर्जीवाड़े के दम पर 1999 का चुनाव भी जीत लिया। जिसके दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं। अब जबकि हर विभाग में जन-धन की आवश्यकताओं, समय की चुनौतियों के कारण कार्य कई गुना ज्यादा हो गया और कर्मियों की संख्या आधी रह गई। हालात ये हो गए कि सेवा निवृत्ति प्राप्त कर्मचारियों, अधिकारियों , इंजिनियरों, डॉक्टरों, व्याख्याताओं, प्राध्यापकों को संविदा नियुक्तियां देकर सरकारी विभाग जैसे-तैसे कार्यों को आधा अधूरा पूरा कर काम चला रहे हैं। सेवा निवृत्ति की आयु 58 से 60 और 60 से 62-65 तक करना पड़ी है। सरकार को मप्र शासन के हर विभाग पिछले 10 वर्षों से एक तरफ अधिकारियों कर्मचारियों की 30 से 50 प्रश तक कमी से गुजर रहा है, जिसका मूल कारण इन धूर्त, मक्कार भारतीय प्रशासनिक सेवा के भ्रष्टाचारियों के कारण तो दूसरी तरफ सन् 2000 से हर विभाग में किया जाने वाला कम्प्यूटीकरण, जहां हर विभाग के कम्प्यूटर साफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजिनियरों की आवश्यकता है। जो विभाग की आवश्यकतानुसार साफ्टवेयर बना सकें और हर जिले में चल रहे सैकड़ों कम्प्यूटर ऑपरेटरों की स्थाई व्यवस्था की आवश्यकता है। जो अभी केवल संविदा पर सरकारी कार्य को हर विभाग में रु. 4000 से 6000 में कार्यरत है, जैसे ही उन्हें ज्यादा वेतन का निमंत्रण मिलता है तो वो सरकारी विभाग को लात मारकर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को न केवल खरीखोटी वरन् गालियां बककर जाते हैं।

हालात यह है कि अधिकांश विभागों के अधिकारियों, इंजिनियरों, डॉक्टरों, कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने की पीड़ा सुनाई पड़ती है कि काम का भारी बोझ से 90 प्रश अधिकारी कर्मचारी मानसिक तनाव, मधुमेह, ह्दयाघात, केंसर, उच्च निम्न रक्तचाप की बीमारियों से पीड़ित हो चुके हैं। कम्प्युटर युग में तत्काल जमाने भर की जानकारी मांगने का हर विभाग के मुख्यालय से शाम 4 बजे संदेश पहुंचाया जाता है, और तत्काल ई मेल से भेजने की मांग की जाती है, न पर्याप्त कर्मी न कम्प्यूटर दिए जाते हैं। बस काम थोप दिया जाता है।

इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी जब जिले का जिलाधीश होता है तब वह जिले का बेताज बादशाह होता है, सारे कर्मचारी उसकी निगाह में पालतु अश्वों की फौज और कर्मचारी पालतू गाय, भेड़, बकरियां जब चाहे, जैसे चाहे हांक दो यही कारण था इन हरामखोरों ने सैकड़ों न्यायालयों के आदेशों के बाद भी दैनिक वेतन 25 से 30 वर्ष तक कार्य लेने के बाद भी दसियों हजार कर्मचारियों को नियमित नहीं होने दिया क्योंकि मुफ्त में हर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के घरों, फार्म हाऊस पर 15 से 25 कर्मचारियों की फौज से जोत कर काम लेने में कोई परेशानी न हो, दूसरी ओर एक तरफ अधिकारियों कर्मचारियों को जानबूझकर पदोन्नतियां भी इसीलिए नहीं होने दी कि ये अधिकांश कर्मचारियों को अगर पदोन्नतियां दे दी गई कल के दिन ये अपने पर भारी न पड़ जाए, भर्तियां इसलिए नहीं होने दी कि ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों को संभालना मुश्किल पढ़ता है। भ्रष्टाचार में धन भी ज्यादा लोगों को बंटेगा, तो हिस्सा कम पहुंचेगा चौथा ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों पर पकड़ कमजोर होगी, तो अपनी ज्यादा बदनामी होगी, पांचवा ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों में न जाने कब कौन सा कर्मी कैसा आ जाए जो उन पर ही भारी पड़ जाए जो अपनी बतमीजीयां चालबाजियों, भ्रष्टाचारों, अय्याशियों, मौज मस्ती की वीडियों, रिकार्डिंग कर सार्वजनिक रूप से बदनाम कर दें, क्यों कि नई नस्ल बहुत तेज तर्राट भी होती है, सरकार चले न चले अपना काम अपनी आय, अपनी शान शौकत बरकरार रहे, बदनाम होंगे तो मंत्री, मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी।

हालात यह है कि हर विभाग में 1985 तक भर्ती हुए अधिकांश इंजिनियर्स, डॉक्टर्स, अधिकारी, कर्मचारी, निरीक्षक, व्याख्यता, प्राध्यापक आदि 1 लाख से ज्यादा सन 2017 से लेकर 2020 तक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लेंगे और वसूली करेंगे। नियम कानून की व्यवस्था बिखर चुकी होगी, सभी विभागों में काम काज ठप हो जाएगा, स्थिति अंधेर नगरी चौपट राजा हो जाएगी। हालात यह है कि अच्छे इंजिनियर्स, डॉक्टर्स, अधिकारी, प्रबंधक, सामान्य वर्ग के जो सचमुच समझदार व होशियार है। वे सरकारी नौकरियों से किनारा करने लगे हैं। हालात ये है कि भारतीय युवा पीढ़ी इन उच्च अधिकारियों की बतमीजियों, हरामखोरी और भ्रष्टाचारियों की कहानियां पढ़कर सरकारी सेवाओं की अपेक्षा विदेश जाना पसंद करती है। देश में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर बजाए सरकारी नौकरियों में मान प्रतिष्ठा की आड़ में जहालत परेशानी झेलने से,प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज घोषणा वीर की घोषणायें, भ्रष्टाचारहीन प्रशासन, शून्य प्रतिशत, सहनीयता आदि की ये आईएएस ही धज्जियां बिखेर देते हैं। फिर घोषणावीर कुछ भी घोषणा करें, उसकी पकड़ भी आईएएस पर न केवल ढीली वरन वह भी भ्रष्टाचार से धन कमाने के लिए, महाभ्रष्ट बदनामशुदा आईएएस इकबाल सिंग, बैस को लाकर फिर मंत्रालय में बैठा दिया सिद्ध करता है कि मुख्यमंत्री स्वयं कितना भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचारी अधिकारियों का प्रेमी है,उसे शासन-प्रशासन के भविष्य से कोई मतलब नहीं। कल सरकार ध्वस्त होती है, आज ही। अपन ने दस साल में खूब कमा लिया और अभी 4 वर्ष और मौका है।

साप्ताहिक समय माया

मु.मं., मंत्री, प्र.स. सचिव, संचालक, उप सहा., संचालक तक

सब डकार रहे कागज के उद्यानों पर समंकों का उत्पादन

70 प्रश हजम कर जाते हैं, यात्रा भत्तों में 90 प्रश फर्जी बिल लगाकर हजम करते हैं

मप्र उद्यानिकी विभाग के बारे में अधिकांश कृषकों को ही थोड़ी बहुत जानकारी होती है अन्यथा इस विभाग और इसमें बैठे हर कदम बाबुओं, अधिकारियों, सहा., उप संचालकों, संचालक, सचिव, प्रधान सचिव, मंत्री, मुख्यमंत्री तक इसको विभिन्न योजनाओं में जिस में सामान्य वर्ग में 12-13 में प्रशिक्षण में रु. 43000 आबंटित रु. 23000 हजम सूक्ष्म सिंचाई के लिए रु. 3 करोड़ 60 आबंटित, रु. 2, 70 लाख खर्च में से मात्र रु. 1 करोड़ विभिन्न सामान्य कृषकों को वितरीत 170 लाख झूठे व्हाउचरों से हजम, पूरे प्रदेश करीब इस योजना रु. 300 करोड़ में से रु. 200 करोड़ झूठी कागजी कार्रवाई से जिला अधिकारियों ने हजम किया जो हर जिले के हिसाब से औसतन रु. 36 करोड़ होता है। मेला प्रदर्शनी में रु. 129 हजार में से रु. 29000 खर्च रु. 1 लाख हजम, कृषक प्रशिक्षण मे ंरु. 48000 में से रु. 18000 वास्तविक खर्च बाकी रु. 30000 हजम, मिनिकट में रु. 450 हजार में से रु. 150 हजार की मिनिकट का वितरण रु. 3 लाख हजम, सब्जी क्षेत्रीय विकास रु. 320 हजार में से रु. 1.20 लाख खर्च रु. 3 लाख हजम, राष्ट्रीय कृषक विकास के रु. 36 लाख 20 हजार में से 16 लाख खर्च 20 लाख हजम, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन में रु. 7.80 लाख हजम, योजनावार अनु जनजाति के नाम पर 12-13 में सूक्ष्म सिंचाई के लिए आबंटित रु. 90 लाख में से रु. 22.5 लाख लोटाए, खर्च 67.50 लाख में से रु. 40 लाख आम मिनिकट के रु. 1 लाख में से रु. 30 हजार हजम, सब्जी क्षे. वि. रु. 2 लाख में से डेढ़ लाख हजम, मसाला क्षे.वि. रु. 1 लाख में से रु. 80 हजार हजम, रा. उद्यानिकी रु. 114 लाख में से रु. 80000 हजम राष्ट्रीय कृ. वि. रु. 480 हजार में से रु. 3 लाख हजम याजनाकर अनु. जाति के नाम पर 12-13 में रु. 90 लाख में से रु. 2250 लाख लौटाये रु. 6750 हजार में से रु. 50 लाख हजम, मिनिकट के रु. 168ः150 में से रु. 1 लाख 20 हजार हजम, सब्जी क्षे.वि. के रु. 3 लाख में से रु. 2 लाख हजम, रु. मसाला क्षे.वि. रु. 2 लाख में से डेढ़ लाख हजम, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के रु. 228 हजार में से रु. एक लाख 60 हजार हजम, योजनवार फुलों, पौध रोपने के सामान्य वर्ग को आबंटित रु. 8,07,443 में से रु. 5 लाख हजम, घरेलू बागसी रु. 170 हजार में से रु. 1 लाख हजम, अनु जनजाति के सघन फुलोत्पाद के रु. 231468 रु. 120 हजार हजम, घरेलू बागवानी के रु. 50000 में से 30000 हजम, अनु. जाति फुल पौध रोपण के रु. 216 हजार में से रु. 110 हजार हजम, घरेलू बाग के पूरे 50 हजार हजम, मार्च 13 तक,। इस विभाग को प्राप्त आवंटन में जिसमें कार्यालय व्यय के दिखाए गए रु. 1,00,969 में से रु. 50 हजार अनुरक्षण रु. 24 हजार में से रु. 20 हजार मजदूरी में रु. 14.50 लाख में से रु. 6 लाख हजम। यात्रा भत्तों में रु. 1ः79 लाख में से 80 प्रश झूठे यात्रा मंत्रों के बिल लगाकर सारे स्टॉफ ने हजम किए।

कर्मचारियों की वर्दीयों के नाम पर रु. 4947 में से पूरे हजम, पिछले दस वर्षों में से में कभी भी कोई कर्मचारी चतुर्थ श्रैणी वर्दी में नहीं दिखा, अन्य आकस्मिक व्यय के रु. 15 हजार आकस्मिक उपचार में हजम, कार्यालय व्यय के रु. 1.80 लाख में से रु. 1 लाख से ज्यादा हजम, अनुरक्षण के रु. 4.32 लाख में से अधिकांश हजम माइनर अर्थात लघु कार्य रु. 5 लाख में से रु. 3 लाख हजम, अन्य प्रभार के रु. 32 हजार में से रु. 25 हजार हजम, सामग्री व प्रतिपूर्तियां रु. 1.82 लाख में से रु. 1 लाख हजम।

अप्रैल 13 से मार्च 14 तक मजदूरी के रु. 83478 में से रु. 75 हजार हजम, यह पुराना खेल है जिसमें 80-90 से लेकर 100 प्रश तक पैसा फर्जी कार्य दिखाकर मजदूरों के फर्जी नामों पर भुगतान होता है। वर्दीयां कागज पर बंटी रु. 1953 हजम, अनुरक्षण जो 13 में 4.72 लाख हजम किया। इस वर्ष मात्र रु. 50000 रह गया, खर्च दिखाया रु. 44995 अधिकांश हजम। अन्य प्रभार रु. 20000 में रु. 150 लौटा दिए फिर भी रु. 1500 हजम।

सामग्री प्रति पूर्तिया जो 12-13 में रु. 1.82 खर्च था, 14 में 50000 में से रु. 30 हजार हजम। मजदूरी खर्च दिखाया रु. 14 लाख में से 10 लाख व यात्रा भत्तों में रु. 276314 में से अधिकांश अर्थात 70 प्रश तक फर्जी व्हाउचरों से हजम कर ली गई। अरयोजनेत्तर व्ययों में अनुरक्षण में खर्चे रु. 4.3 लाख में से रु. 3 लाख, लघु कार्यों में रु. 5 लाख में से रु. 4 लाख, अन्य प्रभार रु. 35 हजार में से रु. 25 हजार सामग्री एवं प्रति पूर्तिया रु. 1.70 लाख में 80 हजार हजम, लघु निर्माण के रु. 3 लाख में से रु. 2.50 लाख हजम।

योजनाओं में 13-14 में रु. 43000 प्रशिक्षण में से 28,000 हजम, सूक्ष्म सिंचाई के रु. 3 करोड़ 60 लाख में से रु. 55 लाख लौटाए और रु. 3 करोड़ 5 लाख से रु. ढाई करोड़ हजम। मेला प्रदर्शनी के आबंटित रु. 1,29,200 में से रु. 40000 खर्च89 हजार हजम, कृषण प्रशि. रु. 48000 में से रु. 28 हजार हजम, मिनिकट के रु. 5 लाख हजम, मसाला क्षे.वि. के रु. 3 लाख हजम, सब्जी क्षे.वि. के रु. 3 लाख 84 में से रु. 2 लाख हजम मसाला क्षे.वि. के रु. 3 लाख 60 हजार में से रु. 2 लाख हजम, राष्ट्रीय कृषक विकास रु. एक करोड़ 61 लाख में से मात्र खर्च रु. 58 लाख में से रु. 35 लाख हजम जबकि रु. एक करोड़ 3 लाख समर्पित दूसरी योजना इसी नाम के आबंटित रु. 6530 हजार में से मात्र रु. 9 लाख 20 हजार खर्च दिखाकर रु. 5 लाख हजम बाकी रु. 56 लाख 10 हजार लौटाए। औषधि क्षे.वि. के रु. 6,25,000 के दिखाए खर्च के रु. 6 लाख 16 हजार में से 5 लाख हजम। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के रु. 18 लाख 66 हजार 600 में से पूरे खर्च में से रु. 15 लाख हजम। यंत्रीकरण के दिखाए खर्च के रु. 3 लाख 59 हजार में से रु. ढाई लाख खर्च, हजम, ये सारे सामान्य वर्ग के लिए थे। अनु जनजाति के लिए सूक्ष्म सिंचाई के लिए रु. 90 लाख में से रु. 16.50 लाख लौटाए रु. 73.50 लाख में से रु. 50 लाख हजम, मिनिकट के रु. एक लाख 20 हजार में 70 हजार हजम, सब्जी क्षे.वि. में से रु. 2.40 लाख में से रु. 1 लाख हजम। मसाला क्षे.वि. के रु. 1 लाख 20 में से रु. 70 हजार हजम, मसाला क्षे.वि. के रु. 1 लाख में से रु. 70 हजार हजम, राष्ट्रीय कृषक विकास के रु. 2,02,800 में से रु. 1.50 लाख हजम। रा. उद्यानिकी मिशन में रु. 7.466 लाख में से रु. 5 लाख हजम, अनु जाति के नाम सूक्ष्म सिंचाई के रु. 90 लाख में से रु. 15.50 लाख लौटाए। रु. 74.5 लाख में से रु. 50 लाख हजम, मिनिकिट के रु. 1.2 लाख में से रु. 50 हजार हजम। सब्जी क्षे.वि. के रु. 3.6 लाख में से 3 लाख हजम, मसाला क्षे.वि. के रु. 2.40 लाख में से रु. 2 लाख हजम, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन रु. 8.953 में से रु. 5 लाख हजम। सामान्य वर्ग में पौध संरक्षण के रु. 7.69 लाख में से रु. 52 हजार लौटाए, खर्च के 7.7 लाख में से रु. 5 लाख हजम। घरेलु बागवानी के रु. 2.04 लाख में से रु. 150 हजार हजम अनु जाति के सघन फुलोद्यान के रु. 1.64 आबंटित पूरे लौटा दिए। पर घरेलु बागवानी के रु. 60 हजार में से रु. 50000 हजार हजम, अनु जाति के सघन फुलोद्यान के रु. 1.16 लाख में से रु. 89000 लौटाए। 27000 खर्च और घरेलू बागवानी के रु. 60 हजार में से रु. 50 हजार हजम।

जिला उद्यानिकी एवं वानिकी जिला पंचायत और जिलाधीश के अंतर्गत होना है। 15 प्रश मु.का.अ. अभिषेक सिंग और 10 प्रश पूर्व जिलाधीश एम.के. गुप्ता को बांटा गया, 15 प्रश से 20 प्रश संचालक को जिसमें मंत्री, सचिव को बांट दिया जाता। देवास मु. अधि. तोमर, ग्वालियर के सांसद न.सि. तोमर की दम पर देवास में नियुक्त किए गए। इस विभाग में भ्रष्टाचार का चारों तरफ भारी बोलबाला है। हरामखोर संचालक को पत्र दो, समय बाधित होने और अपील लगाने के बाद ही पत्र पुरानी तारीख में भेजकर इतिश्री कर ली जाती है। जहां तक मंत्री कुसुम महदेले का सवाल है, उसके पास प्रशासनिक क्षमता कुछ भी नहीं केवल उसके सचिव ने जो कह दिया और हजम कर चुपचाप रहना। सूक्ष्म या टपक सिंचाई के नाम पर प्रदेशभर के जिलों में रु. 300 से 400 करोड़ आबंटित होते हैं। जिसका 90 प्रश हजम कर लिया जाता है। जिसके कांड इंदौर के ही दो प्रशिक्षण प्रशा. अधिकारियों ने खोल दिए थे।

देवास में बैठा उपसंचालक तोमर और उसका लेखापाल बड़गोदिया के भष्टाचारों की जांच लोकायुक्त और आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो बारीकी से करें तो इन दोनों की जालसाजियों का यथार्थ सामने आ जाएगा। यदि पूरे प्रदेश के इस जालसाज विभाग को कुल आवंटन का 50 प्रश ईमानदारी से खर्च हो जाए तो सब्जियां, फुल, मसालों, औषधियों के क्षेत्र में प्रदेश, जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी अन्य प्रदेशों और देशों को निर्यात करने में काफी सक्षम हो जाएगा।

राष्ट्र भाषा हिन्दी

हिन्दी भाषा की बर्बादी में मुद्रित प्रसार माध्यम जिम्मेदार

दैनिक अपनी महानता सिद्ध करने आंग्ल शब्दों का मिश्रण करते हैं प्रकाशित

भारत में उत्तरी और मध्य भारत के दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में पिछले 25 वर्षों से छपने वाले मुख्यतः दैनिक भास्कर, पत्रिका, राज एक्सप्रेस व अन्य से कहो जिसमें भास्कर के 60 संस्करण सबसे ज्यादा हिन्दी भाषा की बर्बादी का जिम्मेदार हैं जिसके पास अधिकांश 10-12वीं पास ऐसे पत्रकारों को भर रखा है जो तात्कालिक लोकप्रियता पाने, पत्र भरने के लिए कार्य करते हैं। जिन्हें न तो हिन्दी भाषा का ही समुचित ज्ञान होता है, न विषय की विशेषज्ञता, तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके पास भविष्य परक दृष्टि और उसके परिणामों की सोच तो बहुत दूर की कोड़ी है, इसलिए स्वाभाविक है कि जिसके मालिकों की हर समाचार की पंक्ति से लाभ कमाने की लालसा हो और उस लालसा को पूरा करने में भविष्य का चिंतन जो समाज को सशक्त, समृद्धशाली ज्ञान नई चिंतन दे सकने की कामना के विपरीत पत्रकारों की कमाई के साथ मालिकों की इच्छा के अनुकूल केवल लाभ की ही कामना पूर्ण करना ही उद्देश्य होता है।

बेशक वर्तमान के अधिकांश दैनिक समाचार पत्रों का मूल उद्देश्य अपने मालिकों जो कि बड़े-बड़े भूमाफिया, कालोनी माफिया, पुराने कुकर्मी, गुटका माफिया, कर चोरी, अवैध गतिविधियां चलाने वाले वो प्रशासन पर दबाव बनाना और अपनी गतिविधियों कासे निर्वाध संपन्न करने के लिए 10-20 पत्रकारों को अपने यहां रोजगार देकर बैठाते है। ताकि उन्हें सरकारी नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ाकर अपनी आकांक्षाएं पूरी कर सके ही समाचार पत्रों को प्रकाशित कर रहे हैं। अर्थात यथार्थ में समाचार पत्र पूंजीपतियों की रखैल बनकर जनता के हितों पर कुठाराघात कर अपनी स्वार्थपूर्ति का साधन बन चुके हैं। जिनका मूल उद्देश्य शासकों, प्रशासकों के भ्रष्टाचारों और अवैध कार्यों को आंग्ल और हिन्दी भाषा की खिचड़ी में प्रकाशित कर अपने अवैध कार्यों पर वैधानिक कार्यवाहियों से बचना ही समाचार पत्र प्रकाशन का उद्देश्य बन चुका हैं, स्वाभाविक है कि इस कार्य के लिए भाषा, विषय, विशेषज्ञ, ज्ञान विशेषज्ञों की समाचार पत्रों के मालिकों को आवश्यकता नहीं है, उन्हें भाषा की शुद्धता की अपेक्षा समाचारों में शब्दों की खिचड़ी और सनसनी की ज्यादा आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें समाज के भविष्य की अपेक्षा अपने घर, कार्यालय और अपने कोषालयों के कोषशेषों की ज्यादा चिंता है। उसके लबालब भरे रखने के लिए वो तिल को ताड़ और राई को शब्दों से पहाड़ बनाकर प्रकाशित, दृष्य माध्यमों पर प्रचारित करेंगे। वर्तमान में मुद्रित से ज्यादा दृष्य श्रव्य प्रसार दूरदर्शन पर सैकड़ों की संख्या में निहायत बेशर्मी, बतमीजी, घोर स्वार्थी अंदाज में तात्कालिक हित साधन के लिए वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को भ्रमित करने विवाद उत्पन्न करने के लिए वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को भ्रमित करने विवाद उत्पन्न करने और सनसनी फैला कर अपने विज्ञापनों से कमाई के लिए दर्शक संख्या करें अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगे हैं। जिनके पत्रकारों, संपादकों के पास न भाषा, न कानून न विषय की समझ भविष्य के परिणामों का आंकलन करने की क्षमता है, ना ही वे उसे प्राप्त करने के इच्छुक और उत्सुक है। वे तो कमाई के इच्छुक और नकारे, निकम्में, भाषाहीन, भविष्यहीन आदि होने के विपरीत अपनी बेसिर-पैर और औचित्यहीन समाचार प्रस्तुतिकरण की शैली के उपरांत भी, सत्ता और पूंजीपतियों पर दबाव बनाकर वसूली को उत्सुक है, ताकि वे उस अवैध धन से अपनी शान शौकत और धनाध्य जीवन शैली का दिखावा कर सकें। निसंदेह राष्ट्र में, विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में प्रचार प्रसार माध्यमों के प्रस्तुतिकरण में भाषा की शुद्धता के साथ प्रस्तुत करने के लिए न तो कोई नीति है, न कोई सिद्धांत और न ही कोई कानून और जो कानून है वो केवल सत्ताधीशों, पूंजीपतियों, अपराधियों जो कि धनाढ्य, चालबाज, जालसाज है, अपने यथार्थ की तंदर्थ अभिव्यक्ति को रोकने, कुचलने और प्रस्तुतकर्ता पर दबाव बनाने भयभीत कर रोकने के लिए ही बनाए गए हैं। जो कि अंग्रेजों द्वारा गुलामों के लिए बनाएंगे ताकि कोई भी गुलाम राष्ट्र का पत्रकार उनके यथार्थे का चित्रण कर गुलामों को न जगा पाए। हिन्दी को बेशक पौराणिक भाषा की श्रेणी में तो नहीं रखा जा सकता क्योंकि हिन्दी यथार्थ में विश्व की पौराणिक और सभी भाषाओं की जननी मानी जाने वाली देव भाषा संस्कृत का हजारों से हुए अपभ्रंश की भाषा है इसके विपरीत हजारों वर्ष बाद भी पूरे भारत के अधिकांश उत्तरी भाग में बोली, पढ़ी और लिखे जानी वाली हिन्दी को ही राष्ट्र की आजादी के बाद राष्ट्र भाषा का स्थान दिया गया है, राष्ट्र के कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों को छोड़ दिया जाए तो लगभग 25 राज्यों में हिन्दी भाषा सर्वमान्य तरीके से समाज में संवाद का माध्यम है। खड़ी हिन्दी भाषा का चलन तो बोल चाल में मध्यभारत के अतिरिक्त कहीं नहीं है। परंतु हिन्दी क्षेत्रीय स्तर पर कुछ बदला साथ कश्मीर से लेकर, पंजाब, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मप्र राजस्थान, बिहार, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा आदि में बोली, सुनी व समझी जाती है, यहां पर हिन्दी समाचार पत्रों को पढ़ा जाता है, जिन दैनिक अखबारों पर यथार्थ में भाषा की शुद्धता की जिम्मेदारी है वे अधिकांशतः हिन्दी के आंग्ल शब्दों का प्रयोग कर यथार्थ हिन्दी को समझने बोलने और पढ़ने के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए कष्टप्रद बना रहे हैं। यदि यही हाल रहा तो भले ही लिपि हिन्दी हो परंतु कौन सा शब्द आंग्ल है, कौन सा हिन्दी आने वाली पीढ़ी को समझ ही नहीं आएगा दूसरी ओर विद्यालयों में बढ़ते आंग्ल माध्यमों ने सबसे ज्यादा हिन्दी भाषा को बर्बाद कर रही है, हमारी आने वाली पीढ़ीयां शायद 2030 के बाद भारत से हिन्दी भाषा को पिछड़ों की भाषा में बदल देगी। जिससे हमारी भाषा के असितत्व की लड़ाई लड़नी होगी।

मप्र सड़क डकैती विकास निगम- सड़क पर मौतों का जिम्मेदार

हर कदम जालसाजियां लूट, डकैती, महीना डकार सबचुप

पूरे प्रदेश की बीओटी सड़के स्तरहीन, साइन बोर्ड न होने से मौतें

भारत की लोकतांत्रिक सरकार अब लूट तांत्रिक बन जनता, जनहितों के नाम पर यथार्थ में मंत्रियों से लेकर अधिकारियों, इंजिनियरों, डॉक्टरों तक कैसे जनता से और जनधन को लूटा जाए के नियोजन पर कार्यरत है। उसी का परिणाम था मप्र सड़क परिवहन निगम समाप्त करना। सड़कों के विकास के नाम पर लूट करने के लिए मप्र सड़क विकास निगम बनाना, मप्र विद्युत मंडल को खंड-2 बिखेर कंपनियां बनाना आदि-आदि जिनका मूल उद्देश्य जनता को लूटना ही था,जिसमें जनता हर कदम-कदम पर लूटी जा रही है। मप्र सड़क विकास निगम यथार्थ में विकास के नाम डकैती निगम बन चुका है। यहां पर बैठा प्रबंध संचालक विवेक अग्रवाल से लेकर नीचे संभाग स्तर तक बैठे अधिकारी इंजीनियर, सब ठेकेदारों का महीना खाकर हरामखोर धूर्तो की फौज मुंह में दही जमाए बैठी रहती है, इंडियन एव्यूसिंग सर्विस का विवेक अग्रवाल अपनी कमाई के लिए नीचे के इंजिनियरों कर्मचारियोंक को चमकाया धमकाया करता है, परंतु ठेकेदारों से मिलने वाले महीने के कारण ठेकेदारों की लूट, बत्तमीजियों, सड़कों की गुणवत्ता, सड़कों पर उचित तरीके से रखरखाव, यहां तक की सड़कों पर किमी के पत्थरों, सड़कों पर मार्ग संकेतकों तक के अभाव में होती मौतों तक पर पूरे सड़क डकैत निगम की फौज को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी इंदौर देवास कारिडोर की 140 किमी सड़क को पहली बार कार से यात्रा के दौरान देखा तो पाया कि सड़कों के दोनों ओर 5 फिट की पट्टियों ही नहीं है, जहां पर वाहन बिगड़ने व अन्य कारणों से पार्किंग की जा सके। सड़कों पर किमी के पत्थर भी 10.20 ही दिखें यहां तक कि 4.5 वर्ष गुजर जाने के बाद एक तिहाई सड़क का पुर्ननिर्माण नहीं हुआ।सोनकच्छ तक सड़क की सील कोटिंग नहीं की गई है, पर भोपाल संभाग का महाप्रबंधक व अन्य प्रबंधक शूकरों की फौज और स्वयं विवेक अग्रवाल को मतलब नहीं और यही वजह है कि हर वर्ष इस महत्वपूर्ण सड़क पर 100-200 लोग दूर्घटनाओं में मारे जाते हैं। जबकि यह सड़क की लागत रु. 640 करोड़ थी जिसमें रु. 81 करोड़ का अनुदान शासन ने दिया। बेशक स्वीकृति के समय ही रुपए 150 करोड़ एमडी,मंत्री, मु.मं., प्र.अभि.लो.नि.वि. को बंटा। रु. 250 करोड़ ठेकेदार हजम कर मात्र रु. 250 करोड़ का काम कर ठेकेदार ने न केवल बेलास्वप्न की सड़क सौंप दी और इस लूट व जालसाजी में हर कदम निगम के डकैत शामिल रहें। कैसी सड़कें भी हो भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन करती हो न करती हो दूसरी ओर रु. 640 करोड़ का वित्त बैंकों ने उपलब्ध करवा दिया, रु. 150 करोड़ प्रशासन शासन के अधिकारी हजम कर गया, रु. 250 करोड़ में जो गिट्टी, मुरम की रु. 50 करोड़ से ज्यादा की रायल्टी थी वह भी ठेकेदार ने शासन को नहीं दी, और ये डकैतों का गिरोह भी कुछ नहीं बोला, फिर सड़क की गुणवत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उस पर बनने बाद से ही गिट्टी और बजरी अनेकों जगह बाहर आती स्पष्ट दिखती हैं। मप्र में कुछ ही बीओटी सड़कें फोरलेन है जिन पर टोल वूसली की पात्रता है। जबकि अनेकों सड़कों पर एक लेन जिसमें भोपाल राहतगढ़, सागर जैसी 25 से ज्यादा सड़कों पर 1 लेन के बाद भी बिना रखरखाव के बाद भी वूसली जारी है। भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय में टोल के लिए स्पष्ट निर्देशक किसी भी 4 लेन से कम को सड़क पर टोल वसूली नहीं की जाएगी, जबकि इस डकैत निगम की लगभग 10 प्रश सड़के ही चार लेन है। 40 प्रश सड़कें 2 लेन और 50 प्रश 1 लेन पर ही ये डकैतों की फौज आधे अधूरे कामों पर भी टोल वसूलने की अनुमति देकर जनता को नोंचवाने के लिए ठेकेदारों को खुला छोड़ देती है। प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहली सड़क जो इंदौर से दिलाबाद 203 किमी पर जिस जालसाज अशोका बिल्डकॉन को ठेका दिया गया था, उसे टोल टैक्स को चलते हुए 10 वर्ष से ज्यादा हो गया, उस अशोका बिल्डकॉन को ठेका दिया गया था। उस टोल टैक्स को चलते हुए 10 वर्ष से भी ज्यादा हो गया, अशोका बिल्डकॉन के धूर्तो ने तीन टोल की जगह 5 लगाए हल्ला मचा तो महू का कम कर दिया गया परंतु भीकनगांव पर अभी भी बैखौफ वसूली चल रही है। दूसरी और प्रदेश में चल रहे 70-80 से ज्यादा चल रहे नाकों पर वसूली की दरे जो तीन साल से एक बार 7 प्रश की दर से बढ़ाई जानी चाहिए थी अब अधिकांश जगह हर वर्ष बढ़ाई जाने लगी है। साथ ही इन शूकरों की फौज जिसमें कांकरिया अशोक बिल्डकॉन का मप्र देख रहा है प्रतिवर्ष रु. 120 करोड़ से ज्यादा की कमाई इस टोल नाके से करने के बाद भी किसी 26 से 28 तक सड़कें के किनारे वेरीफेड नहीं लगवा पाये, 26/1, 28/2 किमी पर दो पुलियों के बाजू से 200 फुट से ज्यादा गहरी खाई होने के बाद न तो संकेतक है। न ही वेरिफेड है। हर वर्ष करीब 67 किमी मार्ग का पुर्ननिर्माण हो जाना चाहिए था एक भी बार नहीं हुआ बस गड्डे भर दिये जाते हैं।

27 प्रश सड़क के दोनों और 5-5 की पट्टीयां भरी जानी चाहिए थी। 100 किमी में अलग-अलग टुकड़ों की कभी काली मिट्टी से या जो आसपास के गड्डों में मिल जाती है, भर दिए जाते हैं। पूरे प्रदेश की 3000 किमी से ज्यादा बीओटी सड़कों पर एक भी गति अवरोधक नहीं होना चाहिए था अन्यथा किस बात का टोल, पर इसी 200 से ज्यादा 1'-1' तक को स्पीड ब्रेकर खतरनाक तरीके से हर ग्रामीण और शहरीय आबादी में इन अशोका ने बना रखे हैं। जिस पर ट्रकों, बसों के पहियों और पूरी वाहन की बॉडी और इंजिन तक क्षतिग्रस्त होते रहते हैं।अब जबकि आचंलिक प्रबंधक के रूप में उज्जैन का महाभ्रष्ट, महाबत्तमीजी सूर्यवंशी को बैठा दिया गया है, यह भी महीना डकार कर जोहरपेल से मिलता है चुप ही रहेगा, जबकि हर बीओटी में शर्त रहती है कि शर्तों का पालन करने पर टोल नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है, परंतु इन डकैतों की फौज जिसमें विवेक अग्रवाल से लेकर चारों मुख्य अभियंता चेंडके, मेहरा, नरेन्द्र कुमार, चसोरिया भूखे मेमियो जो कि लो.नि.वि. से सेवानिवृत्त होकर यहां पर भी लाखों रुपए का महीना वसूली कर रहे हो, कौन इस अशोका बिल्डकॉन के ठेके को निरस्त करेगा जबकि हर महीने इस 2 लेन सड़क पर आने को लोग मर रहे है, इस मार्ग को न केवल न्यूनतम 4 लेन होना ही चाहिए, चूंकि ये मप्र सड़क डकैत निगम उनसे ठहराव पर हस्ताक्षरित कर देता है। इसकी आड़ में ये शूकरों की फौज अरबों रु. महीने की लूट करवाती रहती है। चाहे सड़कें 1 लेन, 2 लेन ही क्यों न हो, कितने ही लोगों की मौत सड़कों की बनावट, गड्डों, मार्ग संकेतक न होने के कारण यातायात बढ़ने के कारण ही क्यों न हो रही हो इन डकैत श्वानों की बला से।

सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर न केवल जानकारी आधी अधूरी दी जाती है वरन् अपील लगाने पर मुख्यालय में यदि आवेदक नहीं पहुंचा है तो ये शूकर बिना पढ़े ही रद्द कर देता है आखिर ये श्वान भी पूरे प्रदेश के बीओटी ठेकों से लेकर सभी संभागीय प्रबंधको से मिलने वाले महीना वसूली का हिस्सेदार होता है। स्वाभाविक है कि जिनसे वह श्वान महीना वसूली कर रहा है, उनकी रोटी का कर्ज उतारने के लिए उनका कर्ज उतारने के लिए उनको बचाएगा ही, यहां सबसे घोर बत्तमीजी यह है कि अति. जिलाधीश गौतम सिंग एक तो इस विभाग में गैरतकनीकी अधिकारी क्या करता है इसको को कैसे संभागीय व आंचलिक स्तर के अधिकारियों की अपीले सुनने का अधिकार कैसे और क्यों दे दिया? जबकि मुख्यालय पर 4 मुख्य अभियंता स्तर के सेवानिवृत्तों की फौज बैठी है, तकनीकी स्तर के अधिकारी के विरूद्ध अपील भी तकनीकी स्तर के अधिकारी जो कि वरिष्ठ को ही सुननी चाहिए।

इंदौर के संभाग दो जिसमें वर्षों से कुंडली मारे बैठे महा प्रबंधक बौरासी को ही ले इसके कार्यकाल जो जानकारी मांगी गई तो न केवल अधूरी दी गई और जब अपील की गई तो उस जालसाज गौतम सिंग ने चूंकि उससे मिलने वाले महीने का हिस्सेदार या उसके पक्ष में निरस्त कर दिया, फिर भी जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें रमेश रघुवंशी सरदारपुर को मनावर,मांगोद रा. मार्ग क्रं. 38 का रु. 85.92 लाख मरम्मत और रखरखाव का कार्यादेश जारी किया जो 2.5 प्रश से कम अर्थात रु. 83.772 लाख का कार्य हुआ। मात्र रु. 30-40 लाख का बाकी रु.. 43 लाख हजम, क्योंकि 13.7.13 को जारी आदेश बरसाती था, काम किया और बरसात में बह गया। यही वीनस कंस्ट्रक्शन राजगढ़ धार को पत्र क्रं. 1747 से दिनांक 08.08.13 को दिया रु. 77.48 लाख का सरदारपुर-राजगढ़-बाग का राज्य मार्ग क्रं. 35 कर लो.नि.वि. की अनुसूचित दरों से 5.5 कम पर रु. 73.218 लाख का कार्य हुआ। इस बरसाती निविदा का मात्र रु. 20 लाख का रु. 15 लाख ठेकेदार और बाकी पैसा इसे निगम के डकैत कर गए हजम। पत्र क्रमांक 542 दिनांक 08.04.13 से सुनील कुमार जैन खरगोन को रु. 22.61 लाख का ठेका देश गांव खरगोन मार्ग क्रं. 26 को दिया गया। 2 महीने के लिए रु. साढ़े इक्कीस लाख में से काम हुआ मात्र 8 लाख का रु. 13 लाख से ज्यादा ठेकेदार और रोड डकैत कार्य में हजम। मई-जून का हुआ नहीं हुआ काम जुलाई की पहली बरसात में ही बह गया दिनांक 29.06.13 को पत्र क्रमांक 331-32 से रमेश रघुवंशी की नागदा-धार-गूजरी मार्ग के 31 के किमी 70/6 से 90 तक मरम्मत और रखरखाव का 34-35 लाख में 3.5 प्रश कम रु. 33.75 लाख जिसमें काम हुआ रु. 10 लाख का रु. 23 लाख हजम ये वो कार्यादेश है जिनकी प्रतियां सू.अ. में हमे प्राप्त हुई। कागजों के माप पुस्तिका में कार्य पूर्ण रूप से संपन्न किया गया दूसरी ओर बिलों के जो भुगतान हुए वो सभी अलग-अलग ठेकेदारों के होने के बाद भी विभागीय कर्मचारी अधिकारी द्वारा बनाए गए है, जो केवल बिल बताने का 2 प्रश तक हजम कर जाता है।

इस संभाग दो के पास क्रिस्टल आईटी पार्क भवन जो धूर्त डकैतों की फौज मप्र औ.के.वि.नि. द्वारा बताया गया था, एक कार्यादेश पत्र क्रमांक 1140-41 दिनांक 31-07.2013 को मे. बीबी शर्मा 50 एमआईजी इंदौर को रु. 1.98 लाख का 15 प्रश अर्थाते रु. 2 लाख 97 हजार दिया गया। एसटीपी-।। भवन की छत पर वाटर प्रूफिंग का 1 माह का फिर इसी को फिर रु. 1.98 लाख का 14.9 प्रश अधिक पर इसी भवन में दूसरा कार्य पत्र क्रमांक 297 दिनांक 06.02.2014 को दिया गया। आखिर दो अलग-अलग एक ही कार्य के ठेके एक ही फर्म को 6 माह के अंतराल से क्यों दिए गए, कारण स्पष्ट है कि ये जालसाजी इसलिए की गई की रु. 2 लाख से ज्यादा में निविदा समाचार पत्र में प्रकाशित करनी पड़ती, फिर मनचाहे तरीके से पैसा हजम और कार्य खत्म नहीं हो पाता और अपने खास का साथ भला नहीं हो पाता जबकि पीएसी दोनों की रु. 1.98 लाख कर रु. 15 प्रश अधिक का ठेका दिया गया, जिसमें भुगतान रु. 2.97 लाख और 2.25 लाख जबकि एक बिल जिसकी प्रति हमे मिली, भुगतान किया गया। रु. 2.38 लाख का, इसी प्रकार में. सैय्यद हिफाजत अली, खरगोन पत्र क्रं. 86 व 88 दिनांक 16.01.14 से एक ही काम के एमपीटीपी भवन 1 और 2 में एक काम रु. 1.98 लाख और दूसरा रु. 1.86 लाख में दिया गया।स्पष्ट है कि अपने चहेते को काम देकर उपकृत कर केवल केवल बिलों का भुगतान हुआ जो विद्युतकीय कार्य दिखाया गया है उसमें एक सहायक रिलेफ्यूम तारों के साथ एक ही कं. व मेक के साथ दरें अलग-अलग और बिलों का भुगतान अलग-अलग क्यों, फिर खुली निविदाएं बुलाई जाती तो इंदौर के ठेकेदार भाग लेते, फिर ये सिविल इंजिनियर विद्युत यांत्रीकिय कार्य क्या और कितना समझते है? इसी प्रकार मै. कलीम शेख को पत्र क्रमांक 90 और 92 से दिनांक 16.01.14 को दो अलग-अलग आदेश जिसमें एक की पीएससी रु. 1.90 लाख और दूसरी रु. 1.98 लाख जबकि दूसरे में रु. 2.30 लाख की स्वीकृति एक जैसे कार्यों में दो तों स्टार्टर की आपूर्ति लगाना और जांचना ही था कुछ शब्दों को तोड़मरोड़कर भुगतान करवाने गए जबकि यथार्थ कार्य तो कुछ हजारों का ही था, इसी प्रकार मे. मंसूर हुसैन एंड संस खरगोन को तीन आदेश 82, 94 व 98 दिनांक 16.01.2014 दिए गए पहले की पीएएसी रु. 1.99 लाख की, दूसरी की 1.94 लाख के कार्य को रु. 1.89 लाख में, और तीसरे की रु. 1.95 लाख के कार्य विभागों में धन डकारने का कार्यपालन यंत्रियों जिसमें लो.नि. विभाग, लोक स्वा. यांत्रिकीय, ग्रा.या. वि. आदि आते हैं, का बहु प्रचलित लोकप्रिय तरीका है, जिनका मूल उद्देश्य अपने खास चहेते व्यक्तियों को ऐसे छोटे-छोटे रु. 2 लाख से कम के कार्यों को बिना समाचार पत्रों में निविदा में प्रकाशित कर सीधे कार्यादेश देकर फर्जी बिलों से भुगतान कर पैसे हजम कर लिए जाते हैं। इसकी जांच मुख्य सर्तकता परीक्षक से जांच करवाई जाकर प्रकरण आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो और लोकायुक्त को सौंपा जाना चाहिए, पूर्व में भी का.यं. बोरासी ने सेतु संभाग में भी बड़े घोटाले किए हैं। वैसे भी इस सड़क डकैती निगम में चुन-चुन सारे भ्रष्ट लो.नि.वि. के यहां बैठाए गए हैं। यहां पर ईमानदार मेहनतकशों के लिए जगह नहीं है। प्र.स. विवेक अग्रवाल को भ्रष्टों और जालसाज इंजीनियरों और ठेकेदारों से विशेष स्नेह है, जो स्वयं डकैती डालें और डकैतों को गले तक धन बांटते रहे।

मोदी जापान यात्रा अनेंकों मायने में रही सफल

पेज 1 का शेष

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक कितना भी अपनी शक्तियों का व्यान करें परंतु यथार्थ यहां के अमेरिका का पूरे विश्वपर आर्थिक और सामरिक प्रभाव कम हो रहा है, जिसे अमेरिका को समझना होगा और जापान जैसे राष्ट्र को जल थल वायु सैन्य क्षेत्र में न केवल स्वतंत्रता देना चाहिए वरन् उल्टे ही उसे सहयोग देकर चीन जैसे राष्ट्र की विस्तारवादी मानसिकता का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए संयुक्त सैन्य उत्पादन और विस्तार करना चाहिए ताकि चीन को पर्याप्त दहशत देकर नियंत्रण में रखा जा सके। वैसे भारत, जापान, अमेरिका,ब्रिटेन,फ्रांस, रूस के साथ ही दुनिया के अन्य सभी देशों जिन्हें चीन प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक, सामरिक रूप से तकलीफ दे रहा है, उन्हें किसी प्रकार से 5-10 वर्ष तक उसकी स्थिति का आंकलन करना चाहिए क्योंकि उसकी मूलाधार जनसंख्या का 60 प्रश आबादी से 70 प्रश वर्ष की हो जाएगी, जो युद्धमें इतनी सक्षम नहीं होगी कि सबसे हर मोर्चो पर युद्ध कर सकें, जो दुनिया के पाकिस्तान जैसे देशों को छोड़कर सभीके लिए धनात्मक होगा,दूसरा चीन का इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रीकल्स, आटोमोबाइल, औषधि, रसायन व अन्य हर क्षेत्र में संख्यात्मक, गुणवत्ताहीन उत्पादन भी जा बेशक सस्ता परंतु न केवल पूर्णतः अविश्वसनीय वरन् सभी इलेक्ट्रानिक्स के सामरिक, संरचना तक यथा आधारभूत सेवाएं देने यथा इलेक्ट्रानिक्स एक्सचेंज, सेवा प्रदाता उपकरणों से लेकर उपभोक्ताओं के उत्पादन यथा मोबाइल गजेट्स, कम्प्यूटर्स, लेपटॉप आदि तक में ऐसे जालसाजी पूर्ण सूक्ष्म चिप उपकरण लगा दिए जाते हैं जिसे उपयोग से सारा डाटा चीन के सामरिक और जासूसी केन्द्रों पर संग्रहित होता रहता है, जो कि हर राष्ट्र की व वहां चीनी इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों का उपयोग करने वाले उपभोक्ता की निजता का खुला उल्लंघन करता है। इससे पूरे विश्व में चीनी हर माल की मांग घटलने लगी है जो 4-5 वर्ष में चीनी अर्थव्यवस्था को बैठा देने में कारगार होगा। संभवत् 2020 तक चीन से विदेशीं कंपनियां इस अविश्वसनीयता के कारण घाटे में जाने लगेगी व व्यापार समेटने के लिए बाध्य हो जाएगी, तब तक चीनी जनता, उसके कर्मचारी फैक्ट्रीयों में 10-12 घंटे काम करने के कारण शोषित और कुंठित भी हो जाएगी फिर चीनी अर्थव्यवस्था भी बैठने लगेगी।

भारतीय प्र.मं. मोदी, राज्यों के मुख्य मंत्रियों जिसमें मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को समझना होगा कि किसी भी कीमत पर चीनी कं. को भारत में प्रवेश नहीं देना है। धीरे-धीरे चीनी उपभोक्ता सामग्री को हतोत्साहित कर चीनी आयात और व्यापार को घटा कर समाप्त करना होगा। सामान्य स्थिति में कर दिया जाए तो बेहतर वरना युद्ध की स्थिति में ये बिरले दर्जे का घातक हो जाएगा फिर हमारा शत्रु हमारे घर में रहकर, हमारे मेन मटेरियल, मेनेजमेंट, मशीनों मनी का उपयोग कर लाभ भी कमाए देश की जासूसी करें, हमे धमकाये, हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करे कब तक और क्यूं? इन सअ अर्थो को ध्यान में रखा जाए तो हमारे प्र.मं. का जापान जाना ही शत्रुओं को भयभीत करेगा, जो यात्रा का सफलता का घोतक है।

साप्ताहिक समय माया

मप्र राज्य सूचना आयोग भ्रष्टाचार छुपाने जनता को भ्रमित करने का भ्रमायोग

सभी आयुक्त भ्रष्ट, जालसाज-शास.टुकड़खोर सेवक

3जी के युग में वीडियो कालिंग की व्यवस्था नहीं, 9 वर्ष बाद भी धारा 4 पूरी नहीं करवा पाया कितने आवेदकों को धारा 19 (8) ब और स में क्षतिपूर्ति औरअनावेदकों पर दंड लगाया

मप्र में भाजपा का मुख्यमंत्री शिवराज तीसरी बार भी जीतकर सत्ता में इसलिए आ गया कि जनता के सामने केवल कुए और खाई के विकल्प में से जनता ने खाई में कूदकर बचने की उम्मीद में वोट दिए दूसरी और डकैतों की इस टोली ने कांग्रेस की तरह असली सत्ताधीश और शासन चलाने वाले मक्कार जालसाज इंडियन एव्यूसिंग सेवा के अधिकारियों को साथ कर चुनावों में इसे वोटिंग मशीनों की जालसाजी और दूसरी राजनैतिक दलों की कमजोरी का भरपूर फायदा उठाकर एकतरफा चुनाव जितवाया गया।

स्वाभाविक है भाजपा के भ्रष्ट जालसाज नेताओं बनाम डकैतों का गिरोह जीतकर और दंभी हो गया। यदि मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर खंडपीठ ने सत्ताधीशों के इस गिरोह के। बार-बार आदेश देकर विवश नहीं किया होता तो ये मप्र राज्य सूचना आयोग में किसी की भी नियुक्ति करने की इच्छा ही नहीं रखते थे। मजबूरी में इन्होंने जो नियुक्ति की उसमें से चुन-चुन कर बड़े जालसाज भ्रष्टों को बैठाया गया जो पत्रकारों से लेकर प्रशासनिक अधिकारी केडी खान, सू.आ. हीरालाल त्रिवेदी है को बैठाया गया है। ताकि पत्रकार ज्यादा हल्ला न माचाये जबकि यथार्थ में जानबूझकर सत्ताधीश यथा मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव जो प्रदेश के सबसे बड़े जालसाज हरामखोर होते हैं। अपने कुकर्मों को दबाने छुपाने वो किसी अच्छे ईमानदार व्यक्ति को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते थे, उन्हें तो अक्ल से पैदल चाहिए थे जो अपने आकओ के जिन्न बनकर उन्हें कानूनों को बलाए ताक रखकर जनता के आवेदकों को जानकारी न मिले और उन सत्ताधीश शूकरों को जन-धन नोंचकर डकारने का पूरा मौका मिले, इसलिए ये निकम्में केवल कानूनी नौटंकी भर करते हैं। इस नौटंकी की आड़ में ग्वालियर क्षेत्र के आयुक्त आत्मदीप ने अपने निर्णय में उल्टे ही आवेदक को ही फटकार लगाकर सूचना मांगने के औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया, श्वानों की ये फौज कानूनों को अपने बाप की जागीर समझती है। कानून के दम पर उन्हें ये पद मिला, बत्तमीज, आवेदक को ही फटकार लगाने लगे, स्वयं तो ईमानदारी से काम कर नहीं सकते, उल्टा ही आवेदकों को प्रताड़ित करने लगा। इसलिए इसे सूचना आयोग बनाया गया ताकि अपने आकाओं के लिए किसी भी स्तर तक गिरकर कानून की मान-मर्यादा और पद की धज्जियां बिखेर कर आवेदकों को हतोत्साहित कर सकें और शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों से लेकर आयुक्तों, संचालकों, सचिवों, प्रधान सचिवों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों तक किसी भी जालसाज भ्रष्ट, कुकर्मों की सच्चाइयां सामने न आ सके।

दूसरे इंदौर के सूचना आयुक्त गो.कृ. दंडोतिया ने 26.07.2014 को वाणिज्यकर के विरूद्ध अपील की सुनवाई इंदौर में की थी। यहां कहकर गये कि निशुल्क जानकारी दिलवाई जाए क्योंकि अनावेदक ने अपील लगाने के बाद पुरानी तारीख में जवाब भेजकर धन मांगा फोटो कॉपी का जिसे प्रथम अपीलीय ने लिफाफे पर तारीख दिखाने के बाद भी चूंकि उसी का कनिष्ठ अधिकारी था। लेन-देन कर अपील निरस्त कर दी। स्वाभाविक था दूसरी अपील लगाई गई। 2008 के आवेदन की सुनवाई 6 वर्ष सन 2014 में की गई जो स्वमेव ही औचित्यहीन और समय बाधित हो चुकी थी, फिर भी अपनी कमाई के लिए जिसमें अनावेदक से वसूली कर निरस्त कर दिया गया जबकि आ. दंडोतिया ने यह स्वीकार किया था कि जानकारी ने देने के लिए यह जालसाजी अधिकांश विभाग करते हैं कि जब अपील लगाई जाती है तो पुरानी तारीख में जवाब भेजकर छायालिपि का शुल्क मांगकर जालसाजी पूर्ण तरीके से बचने का कार्य किया जाता है। चूंकि प्रथम अपीलीय अधिकारी उन्हीं का वरिष्ठ या कनिष्ठ अधिकारी होता है, उसे अपने सहकर्मी के साथ विभाग में भी रहना है, फिर अपील रद्द करने में भी विभागीय अधिकारी वसूली कर ही लेता है। जब तक आवेदक दमदार नहीं होता या उससे भय नहीं होता कि वह उसके विरूद्ध उच्च न्यायालय में अन्य तरीके से जवाब दिया तो प्रथम अपीलीय अधिकारी अपने सहकर्मी की कार्यवाही को ही उचित सिद्ध करता है, इसके विपरीत यदि प्रथम अपीलीय और द्वितीय अपील अर्थात सूचना आयोग को यह भय होता है कि अगर हमने कानून सम्मत कार्यवाही नहीं की तो आवेदक न केवल अनावेदक वरन् प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारी के उच्च न्यायालय में चुनौत देगा तो फिर प्रथम अपील में ही उसका वरिष्ठ तरीके से सुनवाई करता है। वही हाल आयोग के आयुक्त करते है। जिसकी स्पष्टता 26.07.14 को इंदौर में हुई सुनवाई में झलकी जब आ. गोपाल कृष्ण दंडोतिया ने फ्रासिंस विरूद्ध मप्र पुलिस इंदौर के प्रकरण में स्पष्ट कहा कि यदि आप आवेदक के यहां जानकारी नहीं देंगे तो आवेदक आपके साथ आपके एसपी व हमको भी उच्च न्यायालय में बुलवायेगा।

वैसे तो आयोग का अर्थ ही आय के योग या कमीशन का अर्थ ही कमीशन खोरी करना है, जिस पर पूरा सूचना आयोग, बाबुओं, सचिव से लेकर आयुक्तों और मुख्य सूचना आयुक्त तक खरा उतर रहा है, फिर आय का योग शासकीय अनावेदक से ही बनेगा। आवेदक तो इन जालसाजों की निगाह में केवल फोकटचंद समझा जाता है, जिसके दम पर ही ये सत्ता सुख भोगती है तो दूसरे तरफ सू.अ.अधि. 05 में मिली शक्तियों का भय दिखाकर अनावेदकों से वसूली कर चलता कर देती है। आवेदकों को, इसलिए यहां ऐसे चुन-चुन कर घाघों और धूर्तो को बैठाया जाता है, जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की जी हुजूरी कर जीवन व्यतीत किया होता है, उसी के प्रतिफल के रूप सत्ता से चलती नजदीकियों का लाभ दिया जाता है, ताकि वे अपने आकाओं के विरूद्ध सत्ताधीशों द्वारा किए गए कुकर्मों की पोथियां किसी भी हाल में आवेदकों के हाथ में न जाने दें। सूचना अधिकार अधि. 05 को लागू हुए 12 अक्टू को पूरे 9 वर्ष हो जाएंगे परंतु अभी तक केन्द्र सरकार ने इस कानून के पालन के लिए जो राज्य सरकारों को अरबों रु. की राशि उपलब्ध करवाई थी उसका 70प्रश पैसा हर वर्ष मंत्रालयों से लेकर जिलों, विकासखंडों, पंचायतों तक न केवल हजम कर लिया जाता गया और हजम किया जा रहा है परंतु अभी तक मप्र सरकार ने किसी भी मंत्रालयों से लेकर जिलो के जिलाधीशों और जिलाधिकारियों ने अपने विभाग की जानकारी धारा 2 (ज) क के अनुसार धारा 4 के अंतर्गत न केवल इंटरनेट साइट पर वरन् कार्यालयों तक में भी न केवल मुफ्त में वरन पैसे लेकर भी नहीं दिखाई जाती, न प्रकाशित की जाती है। जबकि केन्द्र शासन हर वर्ष इसके लिए हर राज्य को अरबों रुपए उपलब्ध करवाकर यह अपेक्षा करता हे कि हर विभाग के मंत्रालयों से लेकर विकास खंड स्तर तक की हर जानकारी हर माह तत्काल उपलब्ध करवायेगा। इसके साथ ही इसे लागू करने करवाने और उसकी आघतन जानकारियों को उपलब्ध करवाने का कार्य भी इस सूचना आयोग का भी है, जिसके संबंध में इस आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त से लेकर सचिवों तक ने न केवल मुख्य सचिव, प्रधान सचिवों से न तो निर्देश किए और न ही जानकारियां मांगी, जिम्मेदारी होने के विपरीत आयोग के धूर्त आयुक्तों की फौज ऐसा कभी नहीं करेगी क्योंकि धारा 4 की जानकारी हर विभाग द्वारा डाले जाने से आयोग के नाम के अनुकूल सारे आयुक्तों के आय के योग ध्वस्त हो जाएंगे।

यथार्थ में विश्व के सीरिया और मिश्र में मचे गृह युद्ध को देखते हुए जो कि शासकों के विरूद्ध जनता की कुंठा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए है। यदि देश के केन्द्र के सूचना आयोग और राज्यों के सूचना आयोग ने भी यही बतमीजी पूर्ण रूख बनाकर रखा और जनता के सामने स्पष्ट पारदर्शिता नहीं अपनाई गई तो जनता के मस्तिष्क में बढ़ती कुंठा, सत्ताधीशों के विरूद्ध ज्वालामुखी बन कर फटेगी, क्योंकि वर्तमान में युवा होती पीढ़ी ने वीडियो गेम्स में चलने वाली हिंसा, बंदूके, धमाके देखे हैं। यह कुंठा सीरिया और मिश्र के दंगों की तरह फूटेगी तब शायद समझ में आयेगा सत्ताधीशों को, जिसे सत्ताधीशों ने अन्ना के भ्रष्टाचार के विरूद्ध किए आंदोलनों की भीड़ से समझा जा सकता है। जिसमें मीडिया ने उस आग को पूरे देश में दिखाकर पूरे देश में अन्ना का आंदोलन खड़ा कर दिया था। अच्छा तो ये था कि अन्ना किसी भी विषय विशेष, मुख्य रूप से कानून का ज्ञानी व्यानी नहीं था, अन्यथा हर शासकीय अधिकारी की हर जालसाजी के विरूद्ध न्यायालयों में मुकदमों के अंबार लगवा देता।

कम से कम सूचना के अधिकार अधि. 05 के लागू हो जाने से यथार्थ में पढ़े-लिखे सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी मांगने में उलझ कर रह जाते हैं। उनकी कुंठा वहां धीमी पढ़ जाती है। आयोग में बैठे आयुक्तों ने भी अपनी जालसाजी और वसूली की मानसिकता नहीं छोड़ी तो जनता की कुंठा 5-10 वर्षों में ज्वालामुखी बनेगी जो न केवल सत्ताधीशों के लिए वरन् सब के लिए घातक होगी। इसे सत्ताधीशों को समझना होगा। जनता को न्याय देने का मतलब होता है जनता में सत्ता का विश्वास स्थापित करना है। जबकि अभी आयोग में "अंधा बांटे रेवड़ी, चिन्ह-चिन्ह देय" की तर्ज पर काम हो रहा है। 5-6 वर्ष बाद सुनवाई करने के बाद भी आवेदकों, अनावेदकों को ये स्पष्ट नहीं बताते कि किस विषय में किसके विरूद्ध अपील की गई है। दूसरा 3 जी मोबाइल के युग में भी पत्र भेजकर कोर्टरूम में उपस्थित हो। वीडियो के जरिए क्यों सुनवाई नहीं करते। आवेदक तो इन शूकरों की नजर में कीड़े मकोड़े हैं। जब मन में आए उसको कुम्हार के गधे की तरह बुलवा लो। जबकि आयोग ने अभी तक पत्रों पर 9 वर्ष बाद ईमेल का पता नहीं डाला, वीडियो कांफ्रेसिंग की व्यवस्था नहीं की। आयोग के किसी भी आयुक्त ने धारा 19 (8) ब और इसमें कितने फैसले दिए कितने आवेदकों को कानून व्यवस्था होने के बाद उसकी क्षति के लिए अनावेदकों को क्षतिपूर्ति का आदेश दिया, पहले हरामखोर जालसाज खुद तो डकार लो। जब बचेगा तब आवेदक की सोचेंगे, ये डकैतों का गिरोह।

वैसे सभी आयुक्त, आयोग में जिस उम्र मैं बैठाए गए हैं, उन्हें ईश्वर की परमसत्ता पर विश्वास होगा ही, जहां कानून की सत्ता का कोई औचित्य नहीं रह जाता, अगर आ. गोपालकृष्ण दंडोतिया ने ईमानदारी से निर्णय देना शुरू नहीं किया तो उस परमसत्ता से मेरी प्रार्थना होगी कि इसे पद पर रहते हुए ही चिर निंद्रा में पहुंचा दे,ताकि दूसरे आयुक्तों को ईमानदारी से कार्य करने की प्रेरणा मिले। वैसे अजमेरा का इतिहास नवभारत जबलपुर से 1990-98 के बीच का मालूम किया जा सकता है।

मप्र वाणिज्यकर- व्यापारी, कराधिकारी, कर्मचारी सभी जालसाज

व्यापारी कर चोरी चाहता है बदले में अधिकारी वसूली

सू.अ. में जानकारी न देने के लिए सभी अधिकारी रचते है षड़यंत्र

मप्र वाणिज्यकर मुख्यालय इंदौर में बैठे आयुक्त से लेकर नीचे वृत्तों में बैठे अधिकारियों की लंबी चौड़ी फौज तक है तो सभी जालसाज और षड़यंत्रकारी जिसका सबसे बड़ा पैमाना है। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर मिलने वाले जवाबों और उनके विरूद्ध की गई अपीलों से आसानी से लगाया जा सकता है कि न केवल ये अधिकारी जालसाजियां करते हैं। वरन् जानकारी न देने केसे षड़यंत्र रचते हैं, जिसमें ये न केवल बिना आवेदन को पढ़े बिना आवेदक को आतंकित करने के लिए कुछ सैकड़ा रु. की जानकारी के शुल्क को लाखों रु. तक मांगते हैं। कानून को अपने बाप की जागीर समझ 30 दिन का समय निकलने के बाद पुरानी तारीखों में पत्र भेजकर, पत्र की तारीख से 5 दिन या 10 दिन का समय देकर, पैसा जमा करने का समय देते हैं वरना धमकाते हैं कि पत्र नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा। जबकि अधिकांश पत्रों में पत्र प्राप्ति के पूर्व ही वह तारीख निकल चुकी होती है। इस बात से स्पष्ट होता है, वा.क.अ. न केवल इंदौर वरन देवास, उज्जैन, धार, रतलाम से लेकर पूरे मप्र में सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर किस जालसाजी का परिचय देने होंगे फिर उपायुक्तों के पास इनकी अपील करो तो ये प्रति अपील रु. 10-20 हजार संबंधित वृत्ताधिकारी से लेकर ये जालसाज उसे खारिज कर देंगे क्योंकि है, तो सभी हरामखोर भ्रष्ट जालसाज। दो माह पूर्व संभाग 1,2,3 में वृत्तों की अपील की गई उपा. गोपाल पोरवाल, उपा. करोड़िया, उपा. मजीद खान तीनों हरामखोर जालसाजों ने अपने वा.क. अधिकारी और सहा. आयुक्तों से मोटी वसूलीकर निरस्त कर दिया, ये तीनों की न केवल घोषित और वास्तविक संपत्तियों की जांच लोकायुक्त करे तो यथार्थ स्पष्ट हो जाएगा। पिछले 5 वर्षों से ज्यादा समय से नए व्यवसायियों के पंजीयन का सारा कार्य कम्प्यूटर से हो जाने के बाद भी न केवल इंदौर के वरन पूरे प्रदेश में अनेकों पंजीयन अभी भी पुराने तरीके से किए जा रहे जिसमें 1, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 15 में ये खेल लेन-देन से कुछ ज्यादा ही चलने की खबरें है। जिसमें इन तीनों उपायुक्तों की भी भूमिका रहती है।

बसों पर माल ढोने का काम जिसमें खुलकर कर चोरी की जाती है। एंटी इवेजन ब्यूरों की मासिक चंदे के चलते अतिरिक्त रूप से जारी है। इस मासिक वसूली पर धन को लेकर ब्यूरो में उपायुक्त-सहायुक्त में तू-तू मैं-मैं सुनी जा सकती है, बेशक। सितम्बर से ट्रक, मालवाहक पकड़ने की शक्तियां छीनकर वृत्तों को सौंप दी गई है। इसलिए बेचारे निराश है। दोनों की महिला अधिकारी जो माल इकट्ठा किया था फुर्सत में उससे जमकर खरीदारी कर रही है। मुख्यालय में बैठी चांडालों की चौकड़ी फील्ड में काम करने वाले अधिकारियों से वसूली और हड़काने के नए-नए मुद्दों को पैदा करने में व्यस्त रहती है। एक अपर आयुक्त जगदीश गुप्ता ने अपने खास फोटोग्राफर को पैसे देकर सारे प्रदेश के 30 नाकों पर वसूली का गोपनीय वीडियों बनवाकर रखा है, जब उसे पास धन की कमी महसूस होती है। वीडियो के आधार पर ब्लेकमेल कर रु. 30 लाख से ज्यादा की वसूली कर लेता है। ऐसे ही वर्तमान की 11 वृत्त की सहा. आयुक्त धारवृत्त में नगदी लेते पकड़ा था, शिकायत होने पर सं. 2 के उपायुक्त ने भी उस मामले में लीपापोती में मोटी वसूली करके मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। आखिर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कौन सा प्रथम अपीलीय अधिकारी सबकुछ गलत होने के बाद भी हलाक करके या उसके विरूद्ध आदेश देकर अपनी मोटी कमाई बंद करना चाहेगा, फिर आवेदक सड़कछाप क्या कर लेगा, जांचे बैठा देगा,जो जांच अधिकारी वह भी पैसा खाएगा। लीपापोती करेगा और चला जाएगा। कुल मिलाकर व्यापारी चाहता है न्यूनतम कर भुगतान करें और अधिकतम चोरी, अधिकारी उस कर चोरी के बदले में चाहता है अधिकतम वसूली और इसके लिए वह व्यापारियों को कानूनों की खामियों का फायदा भी देता है और सूचना के अधिकार में जब ये जानकारियां मांगी जाती है तो फिर ये अधिकारी जानकारी न देने के लिए करते हैं प्रपंच।

नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार प्राधिकरण-न.ब.आ. में भी भ्रष्टाचार करने देते हैं पैसा

अध्यक्ष से यंत्रीयों तक सब ठेकेदारों की कठपुतली

महंगाई के नाम पर दोगुना, तिगुना तक भुगतान, चारों तरफ भ्रष्ट जालसाज यंत्रियों का बोलबाला

सं.अं. इंगले को लाने की उधेड़बुन में मुख्यमंत्री चौहान, सू.अ. में जानकारी मांगने पर सचिव भी जानकारी न देने के बहाने ज्यादा करता है

मप्र में नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण मु.मं. अर्जुन सिंह से लेकर शिवराज और न.घा. मंत्री से लेकर उपयंत्रियों तक सबके लिए। दूध देने संकर प्रजाति की मुर्रा भैंस सिद्ध हो रही है। इसके लिए मुमं. कार्यालय से लेकर संभाग स्तर तक हर कदम पर पर भारी षड़यंत्र किए जाते हैं। सूचना के अधिकार में प्राप्त दस्तावेज ये स्पष्ट सिद्ध करते हैं कि नर्मदा बचाओं आंदोलन किसानों के धरना प्रदर्शनों आदि में भी पैसा ये सब ही खर्च करते हैं। ठेकेदारों के माध्यम से, ठेकेदार जिसमें मुख्य रूप से कर्णसिंह, बीसी बिहानी, मधुकॉन जैसे जालसाज 30 माह के ठेके के लिए कार्यों को 120 माह अर्थात 10 वर्षों में भी पूरा करना नहीं चाहते, जिसके चलते मूल कार्यों की लागत बढ़कर दोगुने से भी ज्यादा हो जाती है, उसकी बंदरबांट में न केवल कार्य. यं. वरन, अं.य. मुख्य अभियंता, सदस्य अभियांत्रिकीय, सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, मंत्री मुख्यमंत्री तक सब मोटा हिस्सा डकारते रहते हैं। यह सिलसिला पिछले 35 वर्षों से अनवरत चल रहा है। सूचना के अधिकार के अंतगर्त लगाई गई अपील में दिए गए फेंसले और जानकारी में पत्र क्रमांक 366/2014 में हरामखोर जालसाज ने अपने फैसले के भोपाल दिनांक 05.09.2014 में हरामखोर जालसाज ने अपने फैसले के 14 पेजों में हर कदम अपनी भ्रष्ट मानसिकता का परिचय दिया। पूरे उपरी नर्मदा जोन बरगी मुख्य अभियंता और इंदिरा सागर नहरों के मुख्य अभियंताओं के अंतर्गत बरगी मुख्यी अभियंता और इंदिरा सागर नहरों के मुख्य अभियंताओं के अंतर्गत कितने महंगाई, मूल्य वृद्धि, कार्य विस्तार आदेश दिए जो कि मुख्यालय स्वीकृति से दिए गए को सचिव वीबीएस परिहार ने पूरी तरह बचाकर शासकीय कार्यालयीन जालसाजी पूर्ण भाषा में 14 पेज भर दिए जबकि मात्रचाही गई जानकारी को संलग्न कर जवाब दिया जा सकता था, इस जवाब को तैयार करने में कितने विधि विशेषज्ञों को कम्प्यूटर ऑपरेटर के लगाया गया होगा अर्थात अगर सचिव व अन्य 5 अधिकारियों का वेतन दो दिन का भी जोड़ों तो लाख रु. बर्बाद किए गए पर पूरी जानकारी नहीं दी गई, जबकि बरगी का दायी-बाई नहरों, इंदिरा नगर की नहरों में, ऊपरी और निचली नर्मदा, परियोजनाओं में हर वर्ष रु. 500 करोड़ जालसाजी से भ्रष्टाचार में हजम किया जा रहा है, जनता के धन की लूट में कैसे षड़यंत्र रचे जा रहे हैं। यह प्राप्त जानकारी सिद्ध करती है।

नर्मदा बचाओं आंदोलन को भी ये ही आबकारी और ठेकेदार वितत्त प्रदान कर ये ही हवा देते हैं, ताकि कार्य में बाधा का बहाना बनाकर 30 महीने के काम को 90 दिन में भी पूरा न करना पड़े और इसकी आड़ में मूल्य वृद्धि से उसी कार्य को कछुआ चाल से कर दुगुनी, तिगुनी रकम हजम की जा सके। मप्र मे नर्मदा नियंत्रण मंडल से चलकर मु.मं. कार्यालय तक पहुंचते है जिसमें स्वयं मु.मं. शिवराज के हस्ताक्षर है। फिर न.घा.वि.प्रा. के हर विभाग में यािा पुर्नवास, पर्यावरण एवं वन, वित्त, अभियांत्रिकीय, पुर्नवास क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र उत्थान आदि सभी में चारों तरफ घोर भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार व्याप्त है। जिससे भी सूचना के अधिकार में जानकारी हर हरामखोर जलसाज चाही गई जानकारी नहीं देगा। पहली बात तो आवेदन देने के बाद जवाब तब ही देगा जब आप अपील करेंगे फिर वहीं षड़यंत्र किया जाएगा कि अपील फाइल करने की तारीख से 10-15 दिन बाद पुरानी तारीख जारी किया हुआ भेजा जाएगा जिसमें शुल्क की मांग की गई होगी। जैसा की आयुक्त पुर्नवास फील्ड इंदौर में किया गया, फील्ड के सारे अधिकारियों की शिकायतों और जांचों के संबंध में जानकारी चाही थी वह नहीं दी गई।आयुक्त रेनु पंत का व्य.स. भार्गव ने ही अपील सुन ली, जवाब दे दिया, आधी अधूरी जानकारी दे दी और जब अंतिम शिकायतों के बिंदू जानकारी के वाले में कहा गया तो साफ पलटकर कह दिया कि हमारे पास निर्माण कार्यों से संबंधित अधिकारियों और इंजिनियरों की कोई जानकारी नहीं रखी जाती। वैसे भी इस विभाग में सारे प्रदेश के चुन-चुन कर भ्रष्ट इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के अधिकारी तथा उपाध्यक्ष व सदस्य पुर्नवास रजनीश वैश्य आयुक्त रेनु पंत बैठाए गए हैं। जो कि आयु आल ट्रेडर्स बट मास्टर आफ नन, अर्थात वे हर कार्य में धक्का लगा सकते हैं, पर किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं, बस जिनका उद्देश्य है कागजों को इधर से उधर धकियाते रहो, बदले में इनके भ्रष्टाचार का हिस्सा देते रहो, आबादी जो डूब क्षेत्र में आई उसको धन आवंटन में और पुर्नवास में आए आवंटन में जो भ्रष्टाचार किया गया है, फिल्ड में उनको हिस्सा भ्रष्टाचार के धन का मिलता रहे, जनता रोती रहे तो रोने दो।

उपाध्यक्ष से सूचना के अधिकार में जानकारी चाही थी कि सदस्य अभियांत्रिकीय के रूप में पदस्थ जे आर इंग्ले के नियुक्ति पत्र, समय विस्तार के पत्रों की छाया प्रतिलिपियां प्रदान की जाए, जिसकी सेवा निवृत्ति के 1 वर्ष बाद उसे सदस्य बनाया गया फिर उसे समय विस्तार दिया न घा.वि.प्रा. व मप्र शासन ने, पर सचिव बीबीएस परिहार ने 14 पन्नों के जवाब में लिखा कि सदस्य अभियांत्रिकीय की कोई नियुक्ति नहीं होती, ये जल संसाधन विभाग से प्राप्त होती है। कितनी हास्यापद लगता है, सदस्य अभि. मुख्य अभियंता के समकक्ष है। तो उस सेवानिवृत्त, भ्रष्ट, जालसाज जिसके विरूद्ध लोकायुक्त में जांच लंबित है। जल संसाधन के प्रमुख सचिव आर एस जुलानिया ने भेजा, जिसने अरबों रु. शासन के जो कि जनता से वसूला गया धन था हजम भी कर लिए, उसके का.यं. 32 नं. संभाग के समय में दिए गए 30 माह के ठेकों को 90 माह में भी पूरे नहीं किए गए ताकि सतत मूल्य वृद्धि से धन डकारा जा सके, फिर जल संसाधन विभाग में तो और मुख्य अभियंता जिसमें पाटनी, त्रिवेदी, 5-7 से ज्यादा और भी मुख्य अभियंता सेवानिवृत्त हुए उन्हें तो नहीं भेजा प्रस जुलानिया ने।

फिर इसी आदेश पत्र में आगे उसे तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण, इंग्ले ने असहमति दी है, जबकि धारा 8 ज में यह भी स्पष्ट लिखा है कि जो जानकारी लोक या विधानसभा में प्रस्तुत कि जा सकती है सभी आवेदक को दी जाने योग्य है। अब यदि यही प्रश्न किसी कांग्रेसी नेता से विधानसभा में लगवाकर जानकारी मांगी जाएगी तब भी क्या ये धूर्त, भ्रष्टों के संरक्षक सचिव महोदय यही जवाब दे पाएंगे, कुल मिलाकर सभी इंग्ले को बचाने-छिपाने में लगे हैं। क्योंकि विभागीय सूत्रों के अनुसार उसने रु. 25 करोड़ रु. सदस्य अभियांत्रिकीय पद की ठेकेदारी के लिए गोपनीय आमंत्रण दे रखा है, जिसे पद पर पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए सभी उतावले है। ताकि सभी को कुछ तो हिस्सा मिलेगा ही, स्वाभाविक है रु. 25 करोड़ की निविदा भरी ही रु. 250 करोड़ की कमाई के लिए ही की जाएगी, वैसे हम भी मामले को प्रधान मंत्री कार्यालय तक भेजने के लिए तैयार हैं। नहीं तो एस विएफ को भेजकर जांच करवायेंगें यह सच है कि जो सभी न.घा.वि.प्रा. से संबंध रखने वाले जानते कि यहां पर सारे चुन-चुन कर भ्रष्ट जो येन-केन न प्रकरेण मोटी कमाई करें और करवाएंगे ही बैठाए जांएगे। यहां तक कि दो पद एक साथ ही ठेकेदारी में सौंप दिए जाए जैसे कि निचली नर्मदा परियोजना का वृत्त क्र.11 जिसमें रु. 1000 करोड़ से ज्यादा के काम होने के बाद भी यहां के अ.यं. इंदौर में मु.मं. का पिछले उसे ज्यादा वर्षों से कार्यभार संभाले है। जबकि दूसरी और जिस मप्रजस में अनेको का.यं., अं.यं., मु.अ. के पास पर्याप्त कार्य नहीं, क्यों नहीं अपने मूल विभाग से आयात करके बैठाए जाते, परंतु इस भ्रष्टाचार की घाटी में विभाग से आयात करके बैठाए जात, परंतु इस भ्रष्टाचार की घाटी में बिगड़ैल भ्रष्ट की ही आवश्यकता है, जो लूटे खाए और लुटाए, खिलाए,इसलिए एक तरफ समय वृद्धि देकर पैसा कमाते हैं तो दूसरी तरफ सदस्य अभियांत्रिकीय के पद पर इंग्ले जैसे हरामखोर जालसाजों को सेवानिवृत्ति के बाद भी नियुक्ति, समय विस्तार देते हैं। ताकि नर्मदा को क्षिप्रा से सेव जोड़ने फिर गंभीर से जोड़ने की अरबों रु. की योजना के बहाने 25 से 40 प्रश पैसा हजम करने की व्यवस्थाएं धरती पर जीवन रहने तक बनी रहें।

मु.मं. की एक नोटशीट में स्पष्ट लिखा है कि रु. 799 करोड़ की बीडीपी जल 3 वर्ष की समयावधि पूर्ण होने के पूर्व ही 27 महीने की समय वृद्धि एक मु.मं. ने अपने स्तर पर ही स्वीकृत कर दी, अर्थात बिना हिस्सा बांटे उक्त मु.अ. ने अपने स्तर पर ही स्वीकृत कर दी। अर्थात बिना हिस्सा बांटे उक्त मुअ ने अपने स्तर पर मोटा लेन-देन कर ठेकेदार से उपकृत हो, उपकृत कर दिया उपरी नर्मदा परियोजनाओं में हालोन आदि के कार्यों में भी ये खेल चल रहा है। जिसकी जानकारी नहीं दी गई, यही हाल इंदिरा सागर परियोजना में नहरों के हर वृत्त मुख्य अभियंताओं, वृत्ती के अ.यं. क्र.1 जिसमें सं.क्र. 9 और 19, 12 भीकनगांव और लोवन गोई सं. राजपुर आते हैं। वृत्त क्रमांक 7 जिसके अ.प. बरेलिया है। जिसके क्रा.यं. पटासारिया जिसके पास 18 और 24 दोनों संभाग हैं और नहर संभाग हैं तीसरा वृत्त क्र. 8 जिसके अंतर्गत सं. 13 खंडवा जिसमें का.यं. कोष्टी, स.क्र. 23 भोपाल जिसमें का.यं. दुबे, सनावद का सं.क्र. 21, जिसके पूर्व का.यं. कोले ने बिहानी को इंदिरा सागर नहरों में बिना काम किए। 1 माह 8 दिन में ही रु. 8 करोड़ का भुगतान नाप पुस्तिका भरने से लेकर भुगतान तक स्वयं ही करवा दिया, फिर परस्ते और अब गुप्ता है। इस पूरे वृत्त में सबसे बड़े खेल सं.क्र. 25 में पूर्व में जीपी सोनी और वर्तमान का फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे मीना ने भी किया जहां दक्षिण भारत के जालसाज रेड्डी बंधुओं और खदान माफियाआ की कं. आईव्हीआरसीएल को रु. 5.65 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का भुगतान का.यं., अं.यं., मु.अं. सदस्य अभि., उपाध्यक्ष और मु.मं. कीसहमति से जालसाजीपूर्ण तरीके से करवा दिया गया। जिसकी लोकायुक्त जांच होनी चाहिए, वृ.क्र. 9 जिसके अंतर्गत सं.क. 14 भीकनगांव और 27 राजपुर बड़वानी आते हैं। अं.यं. एसएस राउत भी पुराने भ्रष्ट रहे है। अपने का.यं. काल में भी इन्होंने करोड़ों रुपए के भुगतान स्तरहीन कार्यों के करवा दिए। सं.क्र. 12 में वहीं का सहा. यंत्री सक्सेना अभी प्रभार में संभाग देख रहा है, और 14 में नहरों है। इस भ्रष्टाचार घाटीमें सं.क्र. 25 व 28 का काम देख मीना हर वर्ष रु. 2 अरब से ज्यादा की बंदरबांट में जुटा है। इसके पास जल ग्रहण क्षेत्र उत्थान का काम भी है, जिसका एक सदस्य ही घाटी में बैठाया गया है, जो सभी मध्यम और बड़े बांधों के जल ग्रहण क्षेत्र उत्थान के कार्यों में हर अरबों रु. की स्वीकृति प्राप्त करता है, परंतु कार्य धेले भर का भी नहीं होता, सारा उत्थान कार्य कागजों में सिमट कर ही पैसा कमा लिया जाता है।

वर्तमान में इंदिरा सागर नहरों में भी मु.मं.उ.च. जैन यथार्थ में अं.यं. से वृत्त क्रमांक 81 है। ये भी दो पद एक साथ संभाल रहे हैं। सं.क्रं. 18 व 24 परासारिया स.25 व 28 मीना, भ्रष्टाचार घाटी में जहां धूर्त और भ्रष्ट एक साथ दो पदों की शोभा बढ़ा रहे हैं। फिर भी मुफ्त में वेतन ले रहे कां.यं.,अं.यं. और मुं.अ. को मूल विभाग से क्यों आयात नहीं किए जाते कि भ्रष्टाचार के शिष्टाचार का पैसा ज्यादा लोगों/ अधिकारियों/यंत्रीयों में न बंटे। अपील के निर्णय में 4 लाइन के साथ चाहे गए दस्तावेज भेजहने के अपेक्षा 14 पृष्ठों की दलीलों को भरकर अपने अनुचित और अवैधानिक कार्यों को सही ठहराने की कोशिश की गई है। इसके विपरीत कहीं भी धारा 4 को पूरा करने, जानकारी मुफ्त में देने के लिए कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं की गई ताकि भ्रष्टाचार को छिपाया जा सके, भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण में कूकृत्यों पर बड़े पुराण लिखे जा सकते हैं। बाकी अगली किस्तों में....

मप्र खाद्य एवं औषधी प्रशासन पूरे प्रदेश में मांग वसूली

नियंत्रक ही बचाता है,धन पहुंचाते रहिए

आखिर इंदौर में वर्षों से कैसे जमे हैं, खाद्य एवं औषधि निरीक्षक

मप्र का मु.मं. शिवराज भ्रष्टाचार के विरूद्ध बातें तो बड़ी-बड़ी करते हैं। जीरो टालरेंस जैसे शब्दों का प्रयोग कर भले ही अपने मुंह मिठ्ठू मियां बने रहे जबकि यथार्थ यह है, वो स्वयं भ्रष्टाचारियां को खूब पाल पोस कर स्वयं अपनी वसूली की व्यवस्था कर संरक्षण देते हैं। जिसके उदाहरण हर कदम, हर विभाग में हर जिले में जिलाधीश से लेकर पटवारी, निरीक्षकों, बाबुओं तक मिल जाएंगे। मप्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन को ही लें, सूचना के अधिकार में प्राप्त जानकारी से यह निषकर्ष निकाला गया कि यहां बैठे औ. वि. अशोक गोयल और अजय ठाकुर जिन्होंने येन-केन बी फार्मा की डिग्री बांटने वाले 300 से ज्यादा कालेजों दुकानों से डिग्री खरीदी फिर व्यापमं में भी पैसे खर्च कर जालसाजी से नियुक्ति पा ली, इसके बाद अब मौजा ही मौजा। केवल महीना वसूली करो और साल भर में मात्र रु. 5 लाख से नियंत्रक अग्रवाल को चढ़ावा दों।

जिन हरामखोरों को अभी भी 7-8 वर्ष के बाद भी कानूनी प्रक्रिया का ढंग से अ,ब,स,द, नहीं आता उन्हें, फैक्ट्रियों की इंदौर की कमान सौपं रखी हैं। आधा-आधा शहर दोनों में बांट दिया गया। छोटी दवा दुकानों के लिए, जबकि इंदौर के 90 प्रश दुकानदार जो पिछड़े बस्तियों में पूर्व और पश्चिम में है। 70 प्रश दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के ही बेंच रहे हैं। इंदौर की दवा फैक्ट्रियां न केवल देश में वरन् पूरे दक्षिणी एशिया और अफ्रीकी देशों में भी कुख्यात है। इनके शातिर फैक्ट्री संचालक इन नए सिखाडुओ 10-20 हजार देकर अपने मनमर्जी से काम करवाकर चलता कर देते हैं। ये ही है वो जिन्होंने पीडीपीएल जिसकी ग्लुकोज बोतलों से जोधपुर के सरकारी चिकित्सालय में 18 की मौत हो गई थी। बचाने में अहं भूमिका निभाई थी, नमूने बदलने और स्तरीय ग्लुकोज के नमूने पहुंचाये गए थे कलकत्ता। उस जांच पर करोड़ों रु. हजम कर लीपा-पोती कर दी गई। अधिकांश औषधि निरीक्षकों द्वारा कानूनन आवश्यक होने पर भी टूर डायरी नहीं बनाई जाती। सूअ में मांगी गई जानकारी 01.01.13 से मांगी गई थी जो औ.नि. द्वारा लिए औषधि के नमूने के पंजी की फोटोकापी मांगी गई थी, जो दी गई 01.11.13 से जून 14 तक दी गई। पूरी पंजी एक ही व्यक्ति द्वारा भरी गई, इस बीच कोई भी दवा का नमूना फैल नहीं हुआ। नहीं इन्होंने प्रकरण पंजीबद्ध करवाया, बस केवल नमूने भेजना दिखाया गया है। वैसे साद्य निरीक्षकों द्वारा भेजे जाते नमूने दिखाते हैं। जबकि औ.नि. द्वारा कभी भी नमूने भेजते नहीं देखा गया है। वैसे भी हर दुकान से रु. 50000/- बंधे हुए हैं। इसलिए नमूने नहीं लिए जाते। नहीं दुकानों की जांच की जाती है कि औषधियों समय बाधित स्तरहीन तो नहीं बैची जा रही है। फिर अकेले इंदौर में ही चलने वाली अधिकांश रक्त, मूत्र आदि की प्रयोगशाला में रक्त कोष आदि अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। कितनो की इन्होंने जांच की किसी को कोई परवाह नही फिर जब अधिकांश खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों को 5 वर्षों से ज्यादा हो गए हैं, तो उनका स्थानांतरण मात्र इसलिए ही नहीं किया जा रहा कि वो मोटी कमाई दे रहे हैं। सूचना के अधिकार में मुख्यालय से जानकारी मांगने पर जब तक अपीले फाइल नहीं की जाती। भोपाल स्थित अधिकांश कार्यालयों से जानकारी नहीं मिलती, वैसे भी पूरे मप्र में इस विभाग की मेहरबानी ही है जो 90 प्रश सरकारी चिकित्सालयों में स्तरहीन औषधि इंजेक्शनों व अन्य सामग्री की आपूर्ति जालसाज उत्पादक आसानी से कर लेते हैं। जबकि इन्हें स्वास्थ्य विभाग की हर माह औषधियों के अचानक नमूने लेने चाहिए। इस विभाग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यहां बैठने वाला नियंत्रक इंडियन एव्यूसिंग सर्विस का अधिकारी होता है, जिसे इस विभाग की क,ख,ग भी नहीं समझती। उसका एक मात्र उद्देश्य होता है जैसे चलाना है चलाओ, इधर तो बस धन ले आओ, कौन कैसा जनता का स्वास्थ्य,जनता कल की मरती आज मरे उनकी बला से, वैसे इंदौर के महाभ्रष्ट और जालसाज औ.नि. वृदनानी को भोपाल अटैच कर लोकायुक्त जांच से बचाने, छूट्टी पर भेजने में नियंत्रक अग्रवाल ही भूमिका निभा रहे हैं।

साप्ताहिक समय माया

देश की सत्ता हथियाने नेता को, सपनों का सौदागर होना और शिगूफेबाज होना जरूरी

मु.मं. का शिकायती नं. 181, प्र.मं. की साइट शिगूफा ज्यादा

प्रातः 9 से रात्रि 9 बजे तक लगेगा नहीं, पीएम इंडिया पर दूसरी शिकायत 72 घंटे बाद

मप्र के मुख्यमंत्री चौहान 10 वर्ष में पूर्व कांग्रेसी मु.मं. दिग्गी दानव से ज्यादा शातिर मंजा हुआ राजनीतिज्ञ, मिठबोला और सपनों का सौदागर बन चुका हैं, बेशक भ्रष्ट और भ्रष्टों को संरक्षण दाता है, जनता को दिवास्वप्न दिखाने में दिग्गी बच्चा है, जहां दिग्गी में गर्वोक्ति, और दंभी प्रवृत्ति थी वहीं अपनी भोली शक्ल और विनम्रता से भ्रष्टाचार और बड़ी जालसाजियों को अंजाम देकर भी बचा रहता है। अटल ज्योति अभियान में जहां प्रदेश की ग्रामीण और शहरीय आबादी को बुलाकर भीड़ इकट्ठी कर दिवास्वप्न दिखाता था, वहीं पर उद्घाटन और कार्यक्रम की समाप्ति के तुरंत बाद 24-24 घंटे के लिए बिजली गायब हो जाती थी, जबकि ये भी अपनी सस्ती जल विद्युत को दूसरे राज्यों को बेंचकर कमीशन कमाते हैं दूसरी और जनता को बिजली की कमी बताकर निजी क्षेत्रों से महंगी बिजली खरीदकर और जनता की आपूर्ति की आड़ में मोटा कमीशन डकार जाते हैं। जो प्रतिदिन अरबों रु. में होता है, वैसे मु.मं. भ्रष्टाचार विशेषज्ञ आई.एस. बैस को फिर दिवास्वपनों के इस सौदागर का भरपूर उपयोग यहां के मंत्रालयों और सचिवालयों से लेकर जिलाधीशों के पद पर इंडियन एव्यूसिंग सर्विस बैठे-बैठे महाभ्रष्ट, महाजालसाज अधिकारी करते हैं। नौकरशाही पर मु.मं. चौहान अभी भी न केवल पकड़ नहीं बना पाए हैं। उल्टे ही उनकी कठपुतली बन नाचते हैं। ऐसे भ्रष्टों को भरपूर संरक्षण प्रदेश के हर विभाग में न केवल दिया जा रहा है, वरन् उनके भ्रष्टाचार के प्रकरणों और लोकायुक्तों के प्रकरणों में भी बचाने की भरपूर कोशिश की जाने के साथ भ्रष्टों और जालसाजों को अच्छी कमाई वाले पदों पर नियुक्तियां भी दी जा रही है। जैसे कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में सेवानिवृत्त हो चुके जुलाई 12 के सनावद के मुख्य अभियंता को दो बार सेवा विस्तार देने के बाद पुनः सेवा विस्तार देने की प्रक्रिया निरंतर मुख्यमंत्री कार्यालय में चल रही है। इंदौर के जिला पंचायत के पूर्व मु.का.अ. अवस्थी को न केवल पदोन्नत कर भा.प्र.से. बनाकर पूर्व में बुरहानपुर जिलाधीश और अब देवास में नियुक्त कर दिया गया, ऐसे सैकड़ों भ्रष्ट जालसाज अधिकारियों को पूरे प्रदेश में अच्छे पदों पर बैठाया, ताकि मोटी कमाई मिलती रहे, वही हाल नगर-निगमों-पालिकाओं, विकास प्राधिकरणों का भी है। जैसे धार का पूर्व जिला पंचायत मु.का.अ. दीपक सिंह जिसने अरबों रुपए का आदिम जाति व अन्य योजनाओं के धन अवैध अनाधिकृत खनन कर हजम किया, वर्तमान में इंदौर विकास प्राधिकरण में मु.का.अं. है। मु.मं. जनता को दिवास्वपनों के जो शिगूफे दिखाते हैं उसमें एक भी मुख्यमंत्री ऑनलाइन शिकायत करने की योजना में सबसे खास भ्रष्ट जालसाज पुलिस, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, महिला बाल विकास, जिला पंचायत, आबकारी, शिक्षा, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य लो. स्वा. यां, लो. नि.वि. कृषि उद्यानिकी आदि अनेकों विभागों के विरूद्ध शिकायत करने की कोई व्यवस्था ही नहीं, वहां का ई-मेल पता व फोन नंबर भी जानबूझकर नहीं दिए गए वैसे भी दिवास्वप्न दिखाने का मतलब ये तो नहीं कि अपने गले में घंटी बाधो, वह तो मात्र टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज को मोटा भुगतान करने का एक बहाना थी, न कि जनता को राहत पहुंचाने का। खनिज, आदिम जाति कल्याण, प्रदूषण मंडल, नगर एवं ग्राम निवेश, कोषालय, वाणिज्य कर अर्थात खास मंत्रियों के विभागों यथा गौर का गृह, राजेन्द्र शुक्ला का खनन, वहीं हाल मु.मं. प्रकोष्ठ के शिकायती नं. 181 का भी रहा। प्रातः 9 बजे से रात्रि तक इस नंबर पर 10-20 बार डायल करने भी आप अधिकांश बार या तो ये नं. पुनः जांच कर डायल करें, व्यस्त है। इसके संचालन के लिए भी अपने खास श्योरविन प्रालि को ठेका दे दिया और प्रतिकाल 30 पै. के हिसाब से भुगतान का ठेका दिया गया है।

अब वर्तमान देश के प्रधानमंत्री मोदी अभी सबसे बड़े सपनों के सौदागर है, इन्होंने भी खूब अच्छे दिनों के सपने दिखाकर जनता को ठगा और सत्ता को हथियाने के बाद से ही भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को समाप्त कर पूर्णतः विदेशी बहुराष्ट्रीय कं. को रेलवे, विद्युत जैसी मूलभूत राष्ट्र की आवश्यक सेवाओं में 100 प्रश विदेशी निवेश के लिए मोटा कमीशन हजम करने छटपटाते नजर आते हैं। बदले में मेट्रो और बुलेट के हवाई सपनों का साकार करना चाहते हैं। इंदौर संभाग के 8 जिलों में से सिर्फ 3 ही रेलवे से जुड़े हैं। जिसमें इंदौर, खंडवा और बुरहानपुर है। जबकि धार, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी में 66 वर्ष की आजादी के बाद भी पटरी तक नहीं बिछवाई है। देश के 30 प्रश से ज्यादा जिलों में अभी भी रेलवे लाइन ही नहीं है, वैसे मोदी न केवल बहुराष्ट्रीय वरन अपने देशी आकाओं जिन्होंने चुनाव में सभाओं में मोदी लहर बनाने के लिए विज्ञापनों आदि में 2 वर्षों में रु. 1 लाख करोड़ से ज्यादा झोंकने वाले अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला आदि से गिद्ध जालसाज पूंजीपतियों के चुनाव पूर्व किए वादे भी पूरे करने है। जैसे अंबानी को देश की येन-केन प्रकरेण पूरा रेलवे चाहिए, बंबई मेट्रो उसी ने बनाई हैं। सपनो का ये सौदागर जनता को सुविधाओं के सपने दिखाकर पूंजीपतियों से लुटवाएगा, महंगाई समाप्त करके अच्छे दिन आने वाले है। 100 दिन से ज्यादा गुजर गए जनता को अच्छे दिन कितने अच्छे हैं, जहां बिजली की समस्या पूरे देश में बनी हुई है, जिन परमाणु बिजली घरों की शनैः-शनैः विकसित राष्ट्र कम करने में लगे हैं, वहीं परमाणु बिजली के मामले में मनमोहन सिंह की राह पर चलकर अपने राष्ट्र में मिलने वाले थोरियम का उपयोग न कर आस्ट्रेलिया से आपूर्ति लेने के समझौते कर लिए गए हैं। दूसरी और एक तरफ की जनता बोला जाता है कि अपनी समस्याएं और सुझाव भेजें, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इन की साइट पर पहले पंजीयन करवाने में परेशानी खड़ी की जाती है,वहीं आप 1000 शब्द से ज्यादा नहीं भेज सकतें। एक बार एक हजार शब्द मुश्किल से भेजने के बाद, दूसरी सुझाव व शिकायत के लिए आपको अगले 72 घंटे तक इंतजार करना होगा,ये है पीएम इंडिया. इन का देश के लोगों से संपर्क का तरीका। बिलकुल मुख्यमंत्री ऑनलाइन से एक कदम आगे, कम से कम मनमोहन सरकार में ये प्रतिबंध तो नहीं था जब प्रधानमंत्री मोदी के 100 दिन की सरकार का ये हाल है तो भविष्य निश्चित समय परिभाषित करेगा।

इंदौरी लूट विकास प्राधिकरण-जनता से लूट

फर्जी कार्यादेशों से ठेकेदारों, इंजिनियरों और अधिकारियों में बंदरबांट

जो क्षेत्र नगर निग,राज्य शासन के हैं, उनमें भी इं.वि.प्रा. ने कार्य दिखाकर लाखों और कुल में करोड़ों हजम कर गए

इंदौर का विकास प्राधिकरण यथार्थ में लूट विकास प्राधिकरण है, जहां पर हर काम वसूली और भ्रष्टाचार की नियत से ही संपन्न होता है। सारे अध्यक्षों से लेकर सदस्यों तक जो नामांकित कर बैठाए जाते हैं व सारे अधिकारी इंजिनियर्स व कर्मचारी जो चुन-चुन कर बैठाए जाते हैं सभी की नियत बटोरने की रहती है। नगर निगमों की तरह प्राधिकरणों में भी दलालों, अध्यक्ष, सदस्यों, इंजिनियरों और अधिकारियों के अपने ठेकेदारों जो स्वयं कमाई करें और करवाएं का ही सिक्का चलता है। जमीनों, भवनों, प्लाटों की जादूगरी करने वालों का वर्चस्व चलता है, वे ही निश्चित करते हैं कि कौन सी जमीनों के अधिग्रहण कर विकास के नाम पर उनकी और उनके आकाओं की कितनी मुट्ठी गर्म होगी।

वर्तमान में मु.क.अ. के रूप में बैठे दीपक सिंग जो पूर्व में जिला पंचायत धार के मु.क.अ. रहे हैं। इस आदिम जाति जिले में विकास के नाम पर विभिन्न योजनाओं में रु. 4000 करोड़ तक हर वर्ष आता है। जिसमें आदिम जाति कल्याण सहायक आयुक्त के पास ही रु. 800 करोड़ से ज्यादा का बजट होता है। फिर कृषि, उद्यानिकी,स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास की 90 प्रतिशत से ज्यादा योजनाओं में भी हजारों करोड़ की राशि होती थी जिसमें दीपक सिंग ने चारों तरफ भारी जालसाजियां की इस हरामखोर ने लगभग 500 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार अपने कार्यकाल में किया। वही पैसा खर्च कर वहीं से अपनी जालसाजी और भ्रष्टाचार के कांड सतह पर आकर जांच शुरू हो इसके पहले इंदौर भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण के मु.का.अं. बन गए। इस प्राधिकरण की प्रथा है, कि अपने कुकृत्यों को ढांकने छिपाने के लिए हर दैनिक समाचार पत्र में उसकी औकात के अनुसार लाखों रुपए महीना किसी भी बहाने जैसे विज्ञापन, विज्ञप्ति,निविदा आदि के बहाने पहुंचाता है। यह खर्च भी लगभग रु. 50 लाख प्रतिमाह होता है। इसलिए दैनिक वाले लूट प्राधिकरण से जन सामान्य को न केवल अवगत नहीं कराते वरन् उनकी लूट भ्रष्टाचार से आंखे मूंदकर अपना उदरपोषण संपन्न करते हैं। उनकी ही तारीफें छापते हैं। सूचना के अधिकार में जानकारियां तो मांगी जाती रही परंतु जालसाजों ने उसके हर बार उलझा दिया। इस बार भी उलझाया तो गया फिर भी पैसे जमाकर आवेदन के तीन माह बाद आधी-अधूरी जानकारी दी गई, अपील की गई है जिसकी सुनवाई 1 माह से ज्यादा होने पर भी नहीं की गई,जो जानकारियां प्राप्त हुई उसके विश्लेषण से प्राप्त तथ्य-

कार्यादेश क्रं. 264/4/लेखा/12-13 इंदौर दिनांक 15.1.13, योजना क्रं. 176 का विस्तृत जांच कार्य रु. 7.98 लाख का जो एसएएस एसोसिएशन ने 67.89 प्रश नीचे में लिया जो कि रु. 2,56,238 हुआ जबकि कार्य था मात्र रु. 1 लाख का। कार्यादेश क्र. 141/4/लेखा/12-13 इंदौर दिनांक 07/1/13 कार्य था देवी अहिल्या केन्द्रीय पुस्तकालय में पेपर ब्लाक लगाने का, ठेका था रु. 6.43 लाख जो 5.1 प्रश नीचे में अमित कंस्ट्रक्शन को मिला कार्य हुआ मात्र 2.50 लाख का।

कार्यादेश क्रं. 182/4/लेखा/12-13 इंदौर दिनांक 21.01.13 कार्य था यो.क्रं. 165 में सीबडी सेक्टर में सीमा निर्धारण हेतु, पील गाड़ना, लागत रु. 4.37 लाख 19 प्रश ज्यादा में जो रु. 5.20 लाख, ठेका दिया अरिकॉन इंफ्रा प्रालि को, कार्य हुआ रु. 2.50 लाख का। ऐसे छोटे-छोटे कार्यों में सैकड़ों कार्यादेश खास लोगों जिनमें नेता, अधिकारी, इंजिनियर्स के मिलने जुलने वालों को जारी होते रहते हैं। ओर वे खास रु. लाखों की कमाई का.यं., सहा. यं., ईडीपी प्रबंधक, अंकेक्षक आदि को हिस्सा देकर हजम करते रहते हैं। बड़े कार्यों में में.टे.क्रोजेम कंसल. प्रालि याने की यो. क्रमांक 151 से रेलवे ओवरब्रिज गुणवत्ता नियंत्रण और देखरेख का कार्य 3.8 प्रश में जो कि रु. 35.63 करोड़ पर प्राप्त करेगा। सामान्यतः देख-रेख व गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य, 2.5 प्रश में सौंपा जाता है, जो कि 3.8 प्रश में सौंपा गया जो कि रु. 1 करोड़ होता है जिसकी सीमा 19 माह थी, सेतु निर्माण में विभाग और ठेकेदार मूल्य वृद्धि के अंतर की बड़ी राशि को हजम करने के चक्कर में जानबूझकर रेलवे से इजाजत लेने, भू-अधिग्रहण, अतिक्रमणों को हटाने के चक्कर में ही वर्षों लगा देते हैं। 19 माह की तो छोड़िए 4 से 8 वर्षों तक कोई भी रेलवे ओवरब्रिज पूरे नहीं होते परंतु सलाहका फर्म ने 19 माह के बाद देखरेख और गुणवत्ता नियंत्रण करने से मना कर दिया। आगे कार्य करने में मूल्य वृद्धि और समय वृद्धि के हर्जाने के रूप फिर बंदरबांट कर लाखों का भुगतान हुआ।

कार्या. क्रं. 1321/4/लेखा/12-13 योक्र 71 के सी व डी सेक्टर में विकास कार्य के नाम पर रु. 2.58 करोड़ का कार्य 5.99 प्रश अधिक पर अर्थात रु. 2.73 करोड़ में दिया गया। 9 माह के लिए मार्च 13 से दिसं 13 तक का क्या कार्य सी व डी सेक्टर में हुए कभी समझ ही नहीं आया, मूल रूप से विकास हुआ ठेकेदार अर्पित हाइट प्रालि का.यं., सहा. यं., पामेचा उनके उपयंत्रियों, स्नेहलता जैन अध्यक्ष, बेशक सारी नाप पुस्तिकाएं,अर्थात कागजी खानापूर्ति तो हुई पर धरातल पर रु. 1 करोड़ का स्तरहीन कार्य भी न का.आं. क्र. 999/41/लेखा/12-13 इंदौर इस में कहीं भी तारीख नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक जो पूरी जालसाजी का प्रमाण है। यह फर 10 से 20 के बीच जारी किया गया होगा। 2 वर्ष के योजना क्रमांक 166 भाग अ विकास कार्यो के लिए 24 माह का प्रदेश की सबसे कुख्यात दिलीप बिल्डकॉन को रु. 44.53 करोड़ 1.8 प्रश कम अर्थात रु. 43.73 लाख जो मु.मं. चौहान के खास हैं। कितना काम हुआ और होगा उम्मीद की जा सकती है। दूसरा ठेका का इसी भ्रष्ट जालसाज का.आं. क्र. 1000 से भाग ब का रु. 51.22 करोड़ का जो 1.8 प्रश कम पर रु. 50.30 करोड़ का अर्थात 4 करोड़ के इन कार्यादेशों में तारीख ही नहीं है, दूसरा दोनों 24 माह के वर्षा ऋतु को छोड़कर अर्थात 28से 30 माह के लिए, का.आं. क्रं. 3825/4/लेखा/12-13 विनोद शर्मा को होटल पार्क एआईसीटीसीएसलएल में बड़ा पार्क यातायात नियंत्रण के लिए रु. 47.21 लाख का 18.38 प्रश अधिक पर रु. 56.17 लाख में दिया गया। यहां यह प्रश्न उठता है कि एआईसीटीसीएल में में ये कार्य इं.वि.प्रा. ने क्यों कराया जबकि उसका सारा कार्य नगर निगम के जेएनआरयूएस के अंतर्गत होता है या विनोद शर्मा ने एक कार्यादेश नगर निगम से भी लिया और दोनों का भुगतान लेकर काम एक भी मात्र रु. 25 लाख का, एआईसीटीसीएल के पास सारी बसें ठेकेदारी में है। पूरी संस्था ने जेएनआरेयूएम को पैसे का भरपूर लूटमार में ही उपयोग किया है। सारे कर्मचारी, ड्रायवर, कंडक्टर सब ठेकों की मजूदरों पर रु. 7000 से 9000 के भुगराम है। तो इ.वि.प्रा. ने वहां धन खर्च क्यों किया? कार्यादेश क्रमांक 2172/4 लेखा/12-13 इंदौर दिनांक 26.03.13 ओमप्रकाश हरकचंद मित्तल को यो. क्रं. 59 में थे व मेंट के निर्माण हेतु 4 माह का ठेका जो रु. 46.50 लाख का था 9.8 प्रश अधिक पर रु. 51.10 लाख में दिया। का.आ. 3647/4/लेखा/इंदौर 13-14 इंदौर दि. खाली चूंकि ठहराव सं. 1/13-14/संभावित 1 से 5 अप्रैल 13 का रु. 8.16 करोड़ का एलआईजी तिराहे से रिंग रोड योक्र 173 का 17.15 प्रश अधिक पर रु. 9.57 करोड़ में दिया ताकी बचा हुआ काम में यथार्थ में रु. 2 करोड़ से ज्यादा का भी काम नहीं हुआ जो गोपाल इंटरप्राइजेस को दिया था, का.आ.क्र. 4402 दिनांक 06-05-13 के एमके इंटरप्राइजेस को कुछ जोड़ने/परिवर्तन करने का दिया गया रु. 17.65 लाख का 8.71 प्रश अधिक पर रु. 19.13 लाख में, श्रमायुक्त कार्यालय इंदौर में जबकि वह राज्य शासन के कार्यालय में राज्य शासन या लो.नि.वि. कार्य करता है। वहां रोज ही आना-जाना होता है, सारा पैसा कागजों पर ही हजम हो गया। कार्या.आ.क्र. 4135 वाल का कार्या. आं.क्रं. 4917/41 लेखा/13-14 का दिनांक 07.06.13 रु. 67.86 लाख, यो.क्रमांक 139 में एमआर-10 खान नदी, एस फाल्ड सहने योग्य कोट का रु. 11.42 लाख का, रु. 22.33 लाख में काम हुआ मात्र रु. 5 लाख का। इसी प्रकार से टाइटिंग के ठेके व अन्य सभी प्रकार के ठेकों में काम कम बंदरबाट ज्यादा होती है, यदि हर कार्यादेश के बाद हर कार्य को जांच की जाए तो यथार्थ में कई कार्य कागजों पर ही संपन्ना हो चुकने की सच्चाई सामने आएगी। यहां कार्य से ज्यादा अपनों को उपकृत करना ज्यादा जरूरी होता है। पिछले कुछ वर्षों में इनके इंजिनियर्स पर पड़े लोकायुक्त के छापों में ये सत्यता सिद्ध होती है।

सूचना के अधिकार में चाही गई जानकारी यदि पूरी व ढंग से मिलती तो सत्यता ज्यादा स्पष्ट होती कि कैसे लूट व बंदरबांट चारों तरफ चल रही हैं और जनता से विकास के नाम प्लाटों के आबंटन, पट्टा किराया में लूटकर घर भरने वाले कैसे कार्यों को अंजाम दे रहे हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9074551045, इंदौर कार्यालय- 0731-2530859, मोबा. 9300755803

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.